इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2025–भाद्र 21, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

इन्दौर विकास प्राधिकरण

इन्दौर, दिनांक 15 जुलाई 2025

"प्रारुप सोलह"

[नियम 19 (2) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की सूचना]

क्र.–178.–मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण की नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी. एस.–09 "बी" (प्रस्तावित RE–02 मार्ग) ग्राम बिचौली हप्सी, जिला इंदौर बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किए गए खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं :–

स. क्र. (1)	स्वामी का नाम (2)	ग्राम एवं तहसील (3)	खसरा नंबर (4)	रकबा (हे.में.) (5)
1.	(1) श्रीमती चंदनबालाला पति नरेन्द्रजी निवासी–खातीपुरा, इंदौर.		4/1 पार्ट	
	(2) मारूती सुजुकी इंडिया लि., तर्फे श्री संजय पिता आनंदराव, निवासी–1, नेल्सन मंडेला मार्ग, बसंतकुंज, नई दिल्ली.	बिचौली हप्सी	4/3/1 पार्ट	0.137
	(3) बी. जे. रियल्टर्स प्रा.लि. प्रवीण पिता मनु गंगवाल, निवासी–162 न्यूपलासिया, इंदौर.		4/3/2 पार्ट	
2.	श्री दिलीपकुमार पिता गेंदालाल, सुरेन्द्रकुमार पिता शांतिलाल, विमलकुमार पिता गेंदालाल, मनोहरलाल पिता सेवाराम, पता–268, साकेत नगर इंदौर.	बिचौली हप्सी	5/1/2	0.046

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	श्री राजीव पिता अभय खुराना, निवासी–226, सांकेत नगर, इंदौर.	बिचौली हप्सी	29/1/1 पार्ट	0.095
4.	श्री शिखर पिता लक्ष्मीचन्द जैन, निवासी–28, जागृति नगर, इंदौर.	बिचौली हप्सी	29/1/2 पार्ट	0.044
5.	महीमा एसोसिएटस् को–ऑनर, तर्फे सरदचंद्र पिता फकीरचंद्र, निवासी–06, डॉ. हुसनसिंह भंडारी मार्ग, इंदौर.	बिचौली हप्सी	28/1 पार्ट, 29/2 पार्ट	0.024 0.089
6.	मेसर्स अनिकेत कमोडटेजी प्रा.लि., तर्फे डायरेक्टर श्री दिनेश धनेतिया पिता बंशीलाल धनेतिया व श्रीमती प्रतिभा पति विमल गंगवाल, इंदौर निजी संस्था.	बिचौली हप्सी	29/3 पार्ट	0.012
7.	शासकीय (चारागाह)	बिचौली हप्सी	1/2 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/5 पार्ट	1.338
			ग्राम बिचौली हप्सी की निजी भूमि का योग :–	0.447
			ग्राम बिचौली हप्सी की शासकीय भूमि का योग :–	1.338
			महायोग :–	1.785

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना, नहीं करेगा.

(G-5203)

आर.पी. अहिरवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अनुरूद्ध अहिरवार पिता गणेशराम अहिरवार (ANURUDDH AHIRWAR S/o. GANESHRAM AHIRWAR) निवासी–माला विसनपुरा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश जगदीश कुमार अहिरवार पिता गणेशराम अहिरवार (JAGDEESH KUMAR AHIRVAR S/o. GANESHRAM AHIRWAR) नाम अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अनुरूद्ध अहिरवार पिता गणेशराम अहिरवार (ANURUDDH AHIRWAR S/o. GANESHRAM AHIRWAR) व जगदीश कुमार अहिरवार पिता गणेशराम अहिरवार (JAGDEESH KUMAR AHIRVAR S/o. GANESHRAM AHIRWAR) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम अनुरूद्ध अहिरवार पिता गणेशराम अहिरवार (ANURUDDH AHIRWAR S/o. GANESHRAM AHIRWAR) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे.

आवेदक

(गणेशराम अहिरवार)

(GANESHRAM AHIRWAR)

(G-5204)

नाम परिवर्तन

मैं, सुकरचंद साहू पुत्र श्री रूपलाल साहू निवासी–ग्राम तेलीबट, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश पितम साहू (PITAM SAHU) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक दस्तावेजों पर कृष्णा साहू (KRISHNA SAHU) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम कृष्णा साहू (KRISHNA SAHU) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सुकरचंद साहू)

पुत्र–श्री रूपलाल साहू.

(G-5205)

नाम परिवर्तन

मैं, रामशंकर मेहरा आत्मज श्री पन्नालाल मेहरा, निवासी–वार्ड नं. 11, पोस्ट भौखेड़ी, तह. सोहागपुर, सोढरा, सोदर, होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम अंकित मेहरा (ANKIT MEHARA) है जो कि त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में मेरे पुत्र का नाम आशीष (ASHISH) है जो कि सही एवं सत्य है. उसे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में समस्त शासकीय–अशासकीय दस्तावेजों में यही नाम रहेगा.

आवेदक

(रामशंकर मेहरा)

(G-5206)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम पप्पू कुमार पिता गजराज सिंह (PAPPU KUMAR S/o. GAJRAJ SINGH) निवासी–एच.न–02, सिकंदरपुर, अहमदपुर, सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश राज पिता गजराज सिंह (RAJ S/o. GAJRAJ SINGH) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. पप्पू कुमार पिता गजराज सिंह (PAPPU KUMAR S/o. GAJRAJ SINGH), व राज पिता गजराज सिंह (RAJ S/o. GAJRAJ SINGH) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची व जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम पप्पू कुमार पिता गजराज सिंह (PAPPU KUMAR S/o. GAJRAJ SINGH) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे.

आवेदक

(गजराज सिंह)

(GAJRAJ SINGH)

पुत्र–मिश्रीलाल.

(G-5207)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम पूर्व में मंगलेश (MANGLESH) को परिवर्तित कर नया नाम आनंद (ANAND) हो गया है. इससे पूर्व मेरे पुत्र का नाम मंगलेश (MANGLESH) था को मैंनें अपने पुत्र का नाम आनंद (ANAND) करा दिया है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में पूर्व नाम मंगलेश के स्थान पर नया नाम आनंद (ANAND) किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम मंगलेश दर्ज था उसके स्थान पर नया नाम आनंद (ANAND) पढ़ा और लिखा जावे.

आवेदक

(गौरी लाल).

(G-5208)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम लक्ष्मी पिता दिनेश (LAXMI D/o. DINESH) है. परन्तु मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश रागिनी द्वारा अशोक कुमार (Ragini C/o. Ashok Kumar) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम लक्ष्मी पिता दिनेश (LAXMI D/o. DINESH), उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मैं, मेरी पुत्री का सही नाम उसके आधार कार्ड/शैक्षणिक/अशैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. लक्ष्मी पिता दिनेश (LAXMI D/o. DINESH) व रागिनी द्वारा अशोक कुमार (Ragini C/o. Ashok Kumar) दोनों एक ही महिला हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को लक्ष्मी पिता दिनेश (LAXMI D/o. DINESH) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा–लिखा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दिनेश)

निवासी–ग्राम पोस्ट लोरास खुर्द,
तहसील आष्टा, लोरस खुर्द,
जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-5209)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम वैष्णवी आदिवासी पिता गजराज आदिवासी (VAISHNAVI ADIWASI D/o. GAJRAJ ADIWASI) है. परन्तु मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश विषना गाँड पिता गजराज (Vishna Gound D/o. Gajraj Gound) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम वैष्णवी आदिवासी पिता गजराज आदिवासी (VAISHNAVI ADIWASI D/o. GAJRAJ ADIWASI) उसके कक्षा 8वीं की अंकसूची में दर्ज है. मैं, मेरी पुत्री का सही नाम उसके आधार कार्ड/शैक्षणिक/अशैक्षणिक/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. वैष्णवी आदिवासी पिता गजराज आदिवासी (VAISHNAVI ADIWASI D/o. GAJRAJ ADIWASI) व विषना गौंड पिता गजराज (Vishna Gound D/o. Gajraj Gound) दोनों एक ही महिला हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को वैष्णवी आदिवासी पिता गजराज आदिवासी (VAISHNAVI ADIWASI D/o. GAJRAJ ADIWASI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(गजराज)

निवासी–गधर्रा, ग्राम पौनार ,
पोस्ट–प्रतापगढ़ तहसील सिलवानी,
जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-5210)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम अल्पना पिता जगदीश (ALPANA D/o. JAGDISH) है. परन्तु मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश संध्या पिता जगदीश प्रसाद (Sandhya D/o. Jagdeesh Prasad) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम अल्पना पिता जगदीश (ALPANA D/o. JAGDISH) उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं कक्षा 10 वीं की अंकसूची में दर्ज है. मैं, मेरी पुत्री क सही नाम उसके आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अल्पना पिता जगदीश (ALPANA D/o. JAGDISH) व संध्या पिता जगदीश प्रसाद (Sandhya D/o. Jagdeesh Prasad) दोनों एक ही महिला हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को अल्पना पिता जगदीश (ALPANA D/o. JAGDISH) के नाम से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(जगदीश)

निवासी–बेलना, हिनोतिया,
महलपुर, जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-5211)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम संतोष पिता कालूराम राजपूत (SANTOSH S/o. KALURAM RAJPUT) है, परन्तु मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश राजेश राजपूत पिता कालूराम (Rajesh Rajput S/o. Kaluram) दर्ज है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का नाम उसकी कक्षा 8वीं की अंकसूची में सही नाम संतोष पिता कालूराम राजपूत (SANTOSH S/o. KALURAM RAJPUT) दर्ज है. मैं, अपने पुत्र का सही नाम उसके आधार कार्ड एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. संतोष पिता कालूराम राजपूत (SANTOSH S/o. KALURAM RAJPUT) व राजेश राजपूत पिता कालूराम (Rajesh Rajput S/o. Kaluram) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को संतोष पिता कालूराम राजपूत (SANTOSH S/o. KALURAM RAJPUT) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढा जावे.

आवेदक

(कालूराम)

निवासी–गोंडी गुराडिया रहती,
जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-5212)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम अभिषेक शिल्पी पिता रम्मू कुमार शिल्पी (ABHISHEK SHILPI S/o. RAMMOO KUMAR SHILPI) है, परन्तु मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश फूलचंद शिल्पी पिता रम्मू शिल्पी (Phoolchand Shilpi S/o. Rammu Shilpi) दर्ज है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका सही नाम अभिषेक शिल्पी पिता रम्मू कुमार शिल्पी (ABHISHEK SHILPI S/o. RAMMOO KUMAR SHILPI) दर्ज है. अभिषेक शिल्पी पिता रम्मू कुमार शिल्पी (ABHISHEK SHILPI S/o. RAMMOO KUMAR SHILPI) व फूलचंद शिल्पी पिता रम्मू शिल्पी (Phoolchand Shilpi S/o. Rammu Shilpi) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को नाम अभिषेक शिल्पी पिता रम्मू कुमार शिल्पी (ABHISHEK SHILPI S/o. RAMMOO KUMAR SHILPI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(रम्मू कुमार शिल्पी)

निवासी–ग्राम कामतौन बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-5213)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम सोनम उईके पिता लक्ष्मीनारायण उईके है. परन्तु मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश शिवानी उईके पिता लक्ष्मीनारायण उईके दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम सोनम उईके पिता लक्ष्मीनारायण उईके उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मैं, मेरी पुत्री का सही नाम उसके आधार कार्ड /शासकीय/अशासकीय/शैक्षणिक/अशैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. सोनम उईके पिता लक्ष्मीनारायण उईके व शिवानी उईके पिता लक्ष्मीनारायण उईके दोनों एक ही महिला हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को सोनम उईके पिता लक्ष्मीनारायण उईके के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढा जावे.

आवेदक

(लक्ष्मीनारायण उईके)

निवासी–भवर्दी मॉल, पोस्ट मोरगड़ी,
तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.).

(G-5214)

नाम परिवर्तन

मैं, वकील उर्फ बकील पिता विहारी गरेसिया, निवासी–ग्राम भैंसाखेडा, तहसील मल्हारगढ, जिला मंदसौर. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश अंकित (ANKIT) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में आर्य कुमार (ARYA KUMAR) पिता वकील गरेसिया नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में आर्य कुमार (ARYA KUMAR) पिता वकील गरेसिया के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बकील गरेसिया)

(G-5215)

नाम परिवर्तन

मैं, राधेश्याम पिता रामलाल, निवासी–गोपालपुरा, तहसील मल्हारगढ, जिला मंदसौर, मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश विनय (VINAY) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में जीवन (JIVAN) पिता राधेश्याम नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में जीवन (JIVAN) पिता राधेश्याम के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राधेश्याम)

पिता–रामलाल.

(G-5216)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व नाम नितेश मेवाड़ा (NITESH MEWADA) को परिवर्तित कर नया नाम गोविंद (GOVIND) हो गया है. इससे पूर्व मेरे पुत्र का नाम नितेश मेवाड़ा (NITESH MEWADA) था को मैंने अपने पुत्र का नाम गोविंद (GOVIND) करा दिया है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में पूर्व नाम नितेश मेंवाड़ा के स्थान पर नया नाम गोविंद (GOVIND) किया जावे. अतः अब मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम नितेश मेंवाड़ा दर्ज था उसके स्थान पर नया नाम गोविंद (GOVIND) पढ़ा और लिखा जावे.

आवेदक

(माँगीलाल)

(MANGILAL).

(G-5217)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व नाम दीपक (DEEPAK) को परिवर्तित कर नया नाम समर (SAMAR) हो गया है. इससे पूर्व मेरे पुत्र का नाम दीपक (DEEPAK) था को मैंनें अपने पुत्र का नाम समर (SAMAR) करा दिया है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में पूर्व नाम दीपक (DEEPAK) के स्थान पर नया नाम समर (SAMAR) किया जावे. अतः अब मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम दीपक दर्ज था उसके स्थान पर नया नाम समर (SAMAR) पढ़ा और लिखा जावे.

आवेदक

(राजकुमार)

(RAJKUMAR)

(G-5218)

नाम परिवर्तन

मैं, अफजाल अहमद खान पिता श्री मुजम्मिल हुसैन, निवासी–मेजर ध्यानचंद वार्ड सिवनी, तह. व जिला सिवनी (म.प्र.). मेरी पुत्री रांबिया अफजाल, की कक्षा 10 वीं की अंकसूची में पिता का नाम AFZAAL AHMED एवं माता का नाम NASREEN AHMED अंकित है, जो कि गलत दर्ज हो गया है. मेरी पुत्री के पिता का वास्तविक नाम AFZAAL AHMED KHAN एवं माता का वास्तविक नाम FARKHUNDA NASRIN है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक
(अफजाल अहमद खान)
पिता–श्री मुजम्मिल हुसैन.

(G-5219)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील पाण्डेय पुत्र श्री रामनिवास पाण्डेय, निवासी–म.नं. ए–118, पुष्पा नगर कॉलोनी, नजदीक नारायण श्री कॉलेज 80 फिट रोड, चांदबड़, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र पर त्रुटिवश आरूही पाण्डे (ARUHI PANDEY) पुत्री सुनील कुमार पाण्डे नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड एवं शैक्षिणक दस्तावेजों पर आरोही पाण्डेय (AAROHI PANDEY) पुत्री सुनील पाण्डेय नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम आरोही पाण्डेय (AAROHI PANDEY) पुत्री सुनील पाण्डेय (पिता) ममता पाण्डेय (माता) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(सुनील पाण्डेय)
पुत्र–श्री रामनिवास पाण्डेय.

(G-5220)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम कृष्णगोपाल वर्मा पिता शादी लाल वर्मा (KRISHNGOPAL VERMA S/o. SHADI LAL VERMA) है, परन्तु मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश कृष्णा पाल पिता शदिलाल (Krishna Pal S/o. Shadilal) दर्ज है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका वास्तविक सही नाम कृष्णगोपाल वर्मा पिता शादी लाल वर्मा (KRISHNGOPAL VERMA S/o. SHADI LAL VERMA) दर्ज है. मैं, अपने पुत्र के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका वास्तविक सही नाम दर्ज कराना चाहता हूँ. कृष्णगोपाल वर्मा पिता शादी लाल वर्मा (KRISHNGOPAL VERMA S/o. SHADI LAL VERMA) व कृष्णा पाल पिता शदिलाल (Krishna Pal S/o. Shadilal) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को कृष्णगोपाल वर्मा पिता शादी लाल वर्मा (KRISHNGOPAL VERMA S/o. SHADI LAL VERMA) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे.

आवेदक
(शादी लाल वर्मा)
निवासी–ग्राम पोस्ट हसनाबाद,
तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-5221)

नाम परिवर्तन

मैं, अजय सिंह दांगी पुत्र कनेरसिंह दांगी, निवासी–ग्राम व पोस्ट मुण्डलादांगी, तहसील टोकखुर्द, जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश देवेश दांगी (Devesh Dangi) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है जबकि उसका सही नाम दुर्गेश दांगी (Durgesh Dangi) पुत्र श्री अजय सिंह दांगी (Ajay Singh Dangi) है, जो सही एवं सत्य है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम दुर्गेश दांगी (Durgesh Dangi) पुत्र श्री अजय सिंह दांगी (Ajay Dangi) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(अजय सिंह दांगी)

(G-5222)

नाम परिवर्तन

मैं, रामानुज कुशवाहा पिता श्री शारदा प्रसाद कुशवाहा, निवासी–मकान नं. 44/1261 लक्ष्मण बाग रीवा, तह. हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.). मेरी पुत्री महक कुशवाहा के आधार कार्ड में उसका नाम स्वाती साकेत है. जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र, बैंक खाता आदि में उसका नाम महक कुशवाहा दर्ज है जो सही व सत्य है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम स्वाती साकेत के बजाय उसका नाम जन्मतिथि में महक कुशवाहा दर्ज किया जाए. अतः प्रकाशन उपरान्त उसके समस्त रिकार्डों में उसका सही नाम के नाम महक कुशवाहा से जाना जावे.

पुराना नाम
(स्वाति साकेत)

नया नाम
(महक कुशवाहा)
पुत्री–श्री रामानुज कुशवाहा.

(G-5223)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम चंचल चमार पिता रंजीत सिंह चमार (CHANCHAL CHAMAR D/o. RANJEET SINGH CHAMAR), निवासी–देवरीगंज, रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश कंचन अहिरवार माता माया बाई (KANCHAN AHIRWAR D/o. MAYA BAI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. चंचल चमार पिता रंजीत सिंह चमार (CHANCHAL CHAMAR D/o. RANJEET SINGH CHAMAR) व कंचन अहिरवार माता माया बाई (KANCHAN AHIRWAR D/o. MAYA BAI) दोनों एक ही महिला हैं. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची एवं जाति प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम चंचल चमार पिता रंजीत सिंह चमार (CHANCHAL CHAMAR D/o. RANJEET SINGH CHAMAR) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

आवेदक
(रंजीत सिंह चमार)
पिता–भगवान दास चमार.

(G-5224)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम जगदीश अहिरवार पिता गणेशराम अहिरवार (JAGDEESH AHIRWAR S/o. GANESHRAM AHIRWAR), निवासी–माला विसनपुरा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश प्रशांत पिता गणेशराम अहिरवार (PRASANT S/o. GANESHRAM AHIRWAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. जगदीश अहिरवार पिता गणेशराम अहिरवार (JAGDEESH AHIRWAR S/o. GANESHRAM AHIRWAR) व प्रशांत पिता गणेशराम अहिरवार (PRASANT S/o. GANESHRAM AHIRWAR) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम जगदीश अहिरवार पिता गणेशराम अहिरवार (JAGDEESH AHIRWAR S/o. GANESHRAM AHIRWAR) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

आवेदक
(गणेशराम अहिरवार)
पिता–गोरेलाल.

(G-5225)

नाम परिवर्तन

मैं, जमुना बाई पत्नी स्व. श्री हृदय सिंह पटेल, निवासी–ग्राम बाचावानी, तहसील बनखेडी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरा नाम जमुना बाई (JAMUNA BAI) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम जमना बाई पटेल (Jamna Bai Patel) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मैं, जमुना बाई (JAMUNA BAI) से जानी–पहचानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम
(जमना बाई पटेल)
(Jamna Bai Patel)

नया नाम
(जमुना बाई)
(JAMUNA BAI).

(G-5226)

नाम परिवर्तन

मैं, भोलाराम कीर आत्मज श्री कुंजीलाल कीर, निवासी–कीर मोहल्ला, वार्ड क्र. 11, सांगाखेडा कला, नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम रागनी कीर (RAGINI KEER) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम खुंशी कीर (Khushi Keer) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री अपने नये नाम रागनी कीर (RAGINI KEER) से जानी–पहचानी जायेगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम रहेगा.

आवेदक
(भोलाराम कीर).

(G-5227)

नाम परिवर्तन

मेरे शासकीय दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार भदोरिया (PRAPHULL KUMAR BHADORIYA) है. मेरी रेल्वे/सर्विस पुस्तिका में मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार भड़ोदिया (PRAPHULL KUMAR BHRODIYA) है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे प्रफुल्ल कुमार भदोरिया (PRAPHULL KUMAR BHADORIYA) के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम
(प्रफुल्ल कुमार भड़ोदिया)
(PRAPHULL KUMAR BHRODIYA)

नया नाम
(प्रफुल्ल कुमार भदोरिया)
(PRAPHULL KUMAR BHADORIYA).

(G-5228)

उपनाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मोनिका नामदेव पत्नी श्री जितेंद्र कुमार,मेरे शासकीय सेवा अभिलेख में मेरा नाम पहले मोनिका नामदेव दर्ज था. विवाहेपरांत मैंने अपना उपनाम राजौरिया अंकित कराया था. वर्तमान में समस्त शासकीय पत्राचार श्रीमती मोनिका राजौरिया के नाम से हो रहा है. चूंकि मेरे समस्त दस्तावेजों तथा अंकसूची आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई.डी एवं सेवा– पुस्तिका में मेरा उपनाम नामदेव ही दर्ज है. अतः आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में मैं, अपना उप नाम नामदेव दर्ज कराना चाहती हूं. उपनाम परिवर्तन उपरांत मुझे श्रीमती मोनिका नामदेव नाम से ही जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थिनी
(मोनिका नामदेव)
निवासी–म.नं. 2906, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.).

(G-5229)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम चिराग गुर्जर पिता श्री भूपत सिंह (CHIRAG GURJAR S/o. BHUPAT SINGH), निवासी–वार्ड नं. 01, विशनखेड़ा, तहसील गौहरगंज, आखंखेडी, औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश शिवांश पिता भूपत सिंह (SHIVANSH S/o. BHUPAT SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. चिराग गुर्जर पिता श्री भूपत सिंह (CHIRAG GURJAR S/o. BHUPAT SINGH) व शिवांश पिता भूपत सिंह (SHIVANSH S/o. BHUPAT SINGH) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम चिराग गुर्जर पिता श्री भूपत सिंह (CHIRAG GURJAR S/o. BHUPAT SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

आवेदक
(भूपत सिंह)
पुत्र–बाबूलाल

(G-5230)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ऐलिग्जर इन्फ्रास्ट्रक्चर एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01–01–01–00218–05 पंजीयन दिनांक 23 दिसम्बर 2005 है, जिसमें दो भागीदार थे (1) श्री सोनेश राजदेव आत्मज श्री व्ही. एस. राजदेव, (2) श्री राकेश सिंह कुशवाह आत्मज श्री राजेन्द्र सिंह कुशवाह, चूँकि फर्म के एक भागीदार श्री राकेश सिंह कुशवाह का देहान्त दिनांक 04 अगस्त 2023 को हो गया है, श्री राकेश सिंह कुशवाह के देहान्त के पश्चात भागीदारी विलेख में दिनांक 17 अगस्त 2023 को संशोधन कर श्रीमती रीना कुशवाह पत्नी स्व. श्री राकेश सिंह कुशवाह, पताः ई–05/86 अरेरा कॉलोनी, भोपाल को नये भागीदार के रूप में जोड़ा गया है, इस प्रकार उक्त पंजीकृत फर्म में संशोधित विलेख के आधार पर दिनांक 17 अगस्त 2023 से (1) श्री सोनेश राजदेव आत्मज श्री व्ही. एस. राजदेव, (2) श्रीमती रीना कुशवाह पत्नी स्व. श्री राकेश सिंह कुशवाह कुल दो भागीदार हैं.

पंजीयन क्रमांक 01–01–01–00218–05, पंजीयन दिनांक 23 दिसम्बर 2005 में राकेश सिंह कुशवाह के स्थान पर श्रीमती रीना कुशवाह पत्नी स्व. श्री राकेश सिंह कुशवाह के नाम को उक्त फर्म पंजीयन में जोड़नें हेतु यह जाहिर सूचना प्रसारित की जा रही है.

मेसर्स ऐलिग्जर इन्फ्रास्ट्रक्चर

श्री सोनेश राजदेव.

श्रीमती रीना कुशवाह.

(पार्टनर).

(G-5231)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आर.एस. प्रोजेक्टस एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01–01–01–0029–16 पंजीयन दिनांक 23 अप्रैल 2016 है, जिसमें दो भागीदार थे (1) श्री सोनेश राजदेव आत्मज श्री व्ही. एस. राजदेव, (2) श्री राकेश सिंह कुशवाह आत्मज श्री राजेन्द्र सिंह कुशवाह, चूँकि फर्म के एक भागीदार श्री राकेश सिंह कुशवाह का देहान्त दिनांक 04 अगस्त 2023 को हो गया है, श्री राकेश सिंह कुशवाह के देहान्त के पश्चात भागीदारी विलेख में दिनांक 17 अगस्त 2023 को संशोधन कर (1) श्रीमती रीना कुशवाह पत्नी स्व. श्री राकेश सिंह कुशवाह, पताः–ई–05/86 अरेरा कॉलोनी, भोपाल (2) श्री राघव सिंह कुशवाह आत्मज स्व. श्री राकेश सिंह कुशवाह पताः– ई–05/86, अरेरा कॉलोनी, भोपाल को नये भागीदारों के रूप में जोड़ा गया है, इस प्रकार उक्त पंजीकृत फर्म में संशोधित विलेख के आधार पर दिनांक 17 अगस्त 2023 से (1) श्री सोनेश राजदेव आत्मज श्री व्ही. एस. राजदेव, (2) श्रीमती रीना कुशवाह पत्नी स्व. श्री राकेश सिंह कुशवाह, (3) श्री राघव सिंह कुशवाह आत्मज स्व. श्री राकेश सिंह कुशवाह कुल तीन भागीदार हैं. पंजीयन क्रमांक 01–01–01–0029–16 पंजीयन दिनांक 23 अप्रैल 2016 में राकेश सिंह कुशवाह के स्थान पर (1) श्रीमती रीना कुशवाह पत्नी स्व. श्री राकेश सिंह कुशवाह, (2) श्री राघव सिंह कुशवाह आत्मज स्व. श्री राकेश सिंह कुशवाह के नाम को उक्त फर्म पंजीयन में जोड़नें हेतु यह जाहिर सूचना प्रसारित की जा रही है.

भागीदारी फर्म

आर.एस. प्रोजेक्टस

श्री सोनेश राजदेव

श्रीमती रीना कुशवाह

श्री राघव सिंह कुशवाह

(पार्टनर).

(G-5232)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार, पैन कार्ड, में मेरा नाम अजय अग्रवाल (Ajay Agarwal) है व मेरी एल.आई.सी पोलिसी व शेयरों में अजय अग्रवाल (Ajay Agrawal) है. उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे अजय अग्रवाल (Ajay Agarwal) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(अजय अग्रवाल)
(Ajay Agrawal)

नया नाम

(अजय अग्रवाल)
(Ajay Agarwal).
निवासी– A-7, विल्डसर हिल्स सिरोल रोड,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5233)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम स्कूल मार्कशीट, आधार कार्ड में अक्षित श्रीवास्तव व अक्षत श्रीवास्तव गलती से लिखा गया है. जबकि जन्म प्रमाण–पत्र में अक्षज श्रीवास्तव जो नाम सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र का नाम अक्षज श्रीवास्तव (Akshaj Shrivastava) पुत्र श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक
(अरूण कुमार श्रीवास्तव)
माता का नाम– निधी श्रीवास्तव
निवासी– मकान नंबर 18 सेक्टर–2,
विनय नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5234)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम मार्कशीट, जन्म प्रमाण–पत्र, में आरव नेगी है. परन्तु आधार कार्ड में गलती से मेरे पुत्र का नाम लोकमन नेगी हो गया है जो गलत है. सही नाम आरव नेगी है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को आरब नेगी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

आवेदक
(धारा सिंह)
निवासी– मुदरा बाजार, मुरैना (म.प्र.)

(G-5235)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स सुयोग ट्रेडर्स पंजीयन क्रमांक IF-96-97-98 व पंजीयन दिनांक 16 जनवरी 1998 तथा पता– 31 काछी मोहल्ला इंदौर जिला इंदौर है, जिसमे विलेख दिनांक 01 अप्रैल 1995 के अनुमार फर्म में 7 भागीदार 1. श्री दीपक कुमार पिता श्री नरेन्द्र कुमार जैन, 2 श्रीमती मीना देवी पति श्री राजीव जैन, 3. श्रीमती ऋतू जैन पति श्री अशोक जैन, 4. श्री सुन्दरलाल पिता मूलचंद जैन HUF तर्फे श्री सुन्दरलाल जैन 5, श्री नरेंद्र कुमार पिता मूलचंद जैन HUF तर्फे श्री नरेंद्र कुमार जैन, 6. श्री आजाद कुमार पिता मूलचंद जैन HUF तर्फे श्री आजाद कुमार जैन, 7. श्री अशोक कुमार पिता मूलचंद जैन HUF तर्फे श्री अशोक कुमार जैन थे. दिनांक 01 अप्रैल 1998 को फर्म में 1 नए भागीदार 1. श्री अमित कुमार पिता श्री आजाद कुमार जैन सम्मिलित हो गए, तत्पश्चात दिनांक 01 अप्रैल 1999 के विलेख में 1 भागीदार, 1. श्री दीपक कुमार पिता श्री नरेन्द्र कुमार जैन 31 मार्च 1999 को फर्म से पृथक् हो गए तथा 4 नए भागीदार 1 श्रीमती सोनल पति विकास जैन, 2. श्रीमती दीप्ती पति मनोज कुमार, 3. संजीव कुमार पिता नरेन्द्र कुमार, 4. श्रीमती राज मणि पति दीपक कुमार दिनांक

01 अप्रैल 1999 से फर्म में सम्मिलित हो गए इसी प्रकार 01 अप्रैल 2001 के विलेख 4 नए साझेदार फर्म में सम्मिलित हुए जो इस प्रकार है 1. श्री राकेश पिता सुन्दरलाल जैन HUF तर्फे श्री राकेश, 2. श्रीमती मुक्ता देवी पति संजीव जैन, 3. श्री दीपक पिता नरेन्द्र जैन HUF तर्फे श्री दीपक 4, श्री विकास पिता आजाद कुमार जैन HUF तर्फे श्री विकास, तत्पश्चात दिनांक 01 अप्रैल 2003 वाले विलेख अनुसार दिनांक 31 मार्च 2003 को फर्म से 4 भागीदार पृथक् हो गए जो क्रमशः 1, श्रीमती ऋतू देवी जैन पति श्री अशोक जैन, 2. श्री अमित कुमार पिता श्री आजाद कुमार जैन 3, श्री संजीव पिता नरेन्द्र जैन 4, श्रीमती राज मणि पति दीपक कुमार तदुपरांत दिनांक 01 अप्रैल 2008 को फर्म के 7 भागीदार, 1. श्री सुन्दरलाल पिता मूलचंद जैन HUF तर्फे श्री सुन्दरलाल जैन, 2. श्री नरेंद्र कुमार पिता मूलचंद जैन HUF तर्फे श्री नरेंद्र कुमार जैन, 3. श्री आजाद कुमार पिता मूलचंद जैन HUF तर्फे श्री आजाद कुमार जैन, 4. श्री दीपक पिता नरेन्द्र जैन HUF तर्फे श्री दीपक, 5. श्री अशोक कुमार पिता मूलचंद जैन HUF तर्फे श्री अशोक कुमार जैन, 6. श्री विकास पिता आजाद कुमार जैन HUF तर्फे श्री विकास, 7. श्री राकेश पिता सुन्दरलाल जैन HUF तर्फे श्री राकेश फर्म से HUF केपिसिटी से पृथक् हो गए तथा इनमे से 4 भागीदार 1. श्री सुन्दरलाल पिता मूलचंद जैन, 2. श्री नरेंद्र कुमार पिता मूलचंद जैन, 3. श्री आजाद कुमार पिता मूलचंद जैन, 4. श्री राकेश पिता सुन्दरलाल जैन व्यक्तिगत रूप से फर्म में शामिल हुए साथ ही 1 नए भागीदार पलाश अशोक कुमार जैन फर्म में शामिल हो गए तत्पश्चात दिनांक 10 फरवरी 2021 को श्री सुन्दरलाल पिता मूलचंद जैन की मृत्यु हो गई. अतः उनके स्थान पर श्रीमती शांति बाई पति श्री सुन्दरलाल जैन को फर्म में सम्मिलित कर लिया. अतः वर्तमान में फर्म में कुल 9 भागीदार शेष है जो इस प्रकार हैं 1 श्रीमती मीना देवी पति श्री राजीव जैन, 2. श्रीमती दीप्ती पति मनोज जैन, 3. श्रीमती सोनल पति विकास जैन, 4. श्रीमती मुक्ता देवी पति संजीव जैन, 5. श्री नरेंद्र कुमार पिता मूलचंद जैन, 6. श्री आजाद कुमार पिता मूलचंद जैन, 7. श्री राकेश पिता सुन्दरलाल जैन, 8. पलाश अशोक कुमार जैन, 9. श्रीमती शांति बाई पति श्री सुन्दरलाल जैन है.

फर्मः मेसर्स सुयोग ट्रेडर्स,
मीना देवी
पति– श्री राजीव जैन
(भागीदार).

(G-5236)

नाम परिवर्तन

मैं, ऊषा (USHA) पत्नी श्री बनबारी सिंह, मेरा पूर्व का नाम ओमवती परमार (OMVATI PARMAR) था जो मेरी पॉलिसी में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में ऊषा पत्नी श्री बनबारी सिंह के नाम से जानी–पहचानी जाती हूं, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है ऊषा एवं ओमवती परमार दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पॉलिसी में मेरा नाम ओमवती परमार के स्थान पर ऊषा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(ओमवती परमार)

नया नाम
(ऊषा)
पत्नी– श्री बनबारी सिंह
पता– रतन सिंह का पुरा, बरेथा, मुरैना, (म.प्र.).

(G-5237)

नाम परिवर्तन

मैं, मालती (MALTI) पत्नी श्री बीरेंद्र सिंह, मेरा पूर्व का नाम उमा देवी राणा (UMA DEVI RANA) था जो मेरी पॉलिसी के नॉमिनेशन में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मालती पत्नी श्री बीरेंद्र सिंह के नाम से जानी–पहचानी जाती हूं, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है मालती एवं उमा देवी राणा दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी बीमा पॉलिसी के नॉमिनेशन में मेरा नाम उमा देवी राणा के स्थान पर मालती लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(उमा देवी राणा)

नया नाम
(मालती)
पत्नी– श्री बीरेन्द्र सिंह
पता– 45, दीदार कॉलोनी, डबरा, ग्वालियर, (म.प्र.).

(G-5238)

नाम परिवर्तन

मैं, आदि बंसल (AADI BANSAL) पुत्र श्री मनोज बंसल, मेरा नाम पूर्व में मास्टर मुन्नू बंसल (MAST. MUNNU BANSAL) था जो मेरी पॉलिसी में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में आदि बंसल पुत्र श्री मनोज बंसल के नाम से जाना–पहचाना जाता हूं, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है आदि बंसल एवं मास्टर मुन्नू बंसल दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पॉलिसी में मेरा नाम मास्टर मुन्नू बंसल के स्थान पर आदि बंसल लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(मास्टर मुन्नू बंसल)

नया नाम

(आदि बंसल)
पुत्र– श्री मनोज बंसल,
पता– बंसल भवन के सामने, बैराग पुरा,
दाना ओली, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5239)

नाम परिवर्तन

मैं, पारसराम (PARASRAM) पुत्र श्री राम गोपाल सिंह, मेरा नाम पूर्व में परम राम (PARAM RAM) था जो मेरे आधार कार्ड में गलती से लिख गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में पारसराम पुत्र श्री राम गोपाल सिंह के नाम से जाना–पहचाना जाता हूं, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है पारसराम एवं परम राम दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम परम राम के स्थान पर पारसराम लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(परम राम)

नया नाम

(पारसराम)
पुत्र– श्री राम गोपाल सिंह,
पता– 00, ग्राम हीरापुरा, पोस्ट सुनारपुरा,
तहसील मेहगांव, भिंड (म.प्र.).

(G-5240)

नाम परिवर्तन

मैं, भीकम सिंह (BHEEKAM SINGH) पुत्र श्री नेकसाई, मेरी पुत्री का पूर्व में नाम काजल (KAJAL) था जो मेरी पुत्री के आधार कार्ड में गलती से लिख गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरी पुत्री को किंजल (KINJAL) पुत्री भीकम सिंह के नाम से जानी–पहचानी जाती हैं. जो मेरी पुत्री के शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है काजल एवं किंजल दोनों मेरी ही पुत्री के नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम काजल के स्थान पर किंजल लिखा एवं पढ़ा जावे.

आवेदक

(भीकम सिंह)
पुत्र– श्री नेकसाई,
पता– ग्राम रायपुरा नं. 02, जखोली, जिला भिंड, (म.प्र.).

(G-5241)

नाम परिवर्तन

मैं, मानवती (MANVATI) पत्नी श्री कप्तान सिंह, मेरा पूर्व का नाम भागवती (BHAGVATI) था जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मानवती पत्नी श्री कप्तान सिंह के नाम से जानी पहचानी जाती हूं, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है मानवती एवं भागवती दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम भागवती के स्थान पर मानवती लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(भागवती)

नया नाम
(मानवती)
पत्नी– श्री कप्तान सिंह,
पता– ग्राम पिपरसाना, पोस्ट पिपरसाना,
तहसील गोहद, भिंड, (म.प्र.).

(G-5242)

नाम परिवर्तन

मैं, रामबाबू दागी आत्मज–रघुराज सिंह दागी मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम रामबाबू दागी अंकित है. परन्तु लिपिकीय त्रुटि से आधार कार्ड में मेरा नाम मुकेश कुमार दागी अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम रामबाबू दागी के नाम से जाना–पहचाना, लिखा पढ़ा एवं पुकारा जावे.

प्रार्थी
(रामबाबू दागी)

(G-5243)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम दिव्यांशु (DIVYANSHU) पिता दीपक है किन्तु उसके जन्म प्रमाण–पत्र पर त्रुटिवश उसका नाम डेविड (DAVID) पिता दीपक दर्ज हो गया है जो कि गलत है, अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य मे मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र पर एवं उसके सभी दस्तावेजो पर डेविड (DAVID) के स्थान पर उसका सही नाम दिव्यांशु (DIVYANSHU) पिता दीपक लिखा पढा जावे एवं इसी नाम से जाना पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(डेविड)
(DAVID)

नया नाम
(दिव्यांशु)
(DIVYANSHU)
पिता– दीपक,
पता– 18/2 बहेडी रेयत ग्राम,
तहसील हरसुद, खंडवा, (म.प्र.).

(G-5244)

नाम परिवर्तन

मैं, कविता भवर पिता श्री सागर भवर, निवासी वार्ड नं. 6, ग्राम सरवड़, तह व जिला रतलाम (म.प्र.) मुझे वर्तमान में कविता भंवर के नाम से जाना–पहचाना जाता है, मैं, अब अपना नाम परिवर्तित कर राधिका भंवरे (RADHIKA BHANWRE) रखना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे भविष्य में राधिका भंवरे (RADHIKA BHANWRE) पिता सागर भंवरे के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(कविता भवर)

नया नाम
(राधिका भंवरे)
(Radhika Bhanwre)
पिता श्री सागर भवर.

(G-5245)

नाम परिवर्तन

प्रार्थिया श्रीमती मंगलाबाई वर्मा पति स्व. श्री कन्हैयालाल वर्मा, निवासी–महेश नगर, राजगढ़, रतलाम (म.प्र.). मेरी सर्विस पुस्तिका में पिता बालमुकुन्द एवं पति अम्बालालजी का नाम दर्ज है जो पूर्व पति है. बाद में प्रार्थिया का विवाह कन्हैयालाल पिता श्री मोतीलालजी वर्मा के साथ हुआ है, प्रार्थिया के पति कन्हैयालाल वर्मा का स्वर्गवास हो चुका है. जिनके मृत्यु प्रमाण– पत्र में भी श्रीमती मंगलाबाई वर्मा पति श्री कन्हैया लाल वर्मा है. भविष्य में प्रार्थिया को श्रीमती मंगलाबाई वर्मा पति स्व. श्री कन्हैयालाल वर्मा के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(मंगलाबाई वर्मा)
पिता बालमुकुन्द
एवं पति अम्बालाजली

नया नाम
(मंगलाबाई वर्मा)
पति स्व. श्री कन्हैयालाल वर्मा,

(G-5246)

नाम परिवर्तन

मैं, लाल सिंह भाटी पिता रामचन्द्र भाटी, ग्राम जोयन तहसील आलोट जिला रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी का नाम वर्तमान में लाल सिंह भाटी पिता रामचन्द्र भाटी है. अब प्रार्थी अपना नाम परिवर्तित कर महेश सेन पिता रामचन्द्र सेन करना चाहता है. भविष्य में प्रार्थी को महेश सेन (MAHESH SEN) पिता रामचन्द्र सेन के नाम से जाना पहचाना जावे.

प्रार्थी
(लाल सिंह भाटी)
पिता– रामचन्द्र भाटी,

(G-5247)

नाम परिवर्तन

मैं, शंकरलाल पवार पिता मानसिंह पवार, निवासी–68/4, अम्बिका नगर, रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी का नाम रेलवे सर्विस रिकार्ड में शंकर लाल पिता मानसिंह एवं आधार कार्ड शंकर लाल पंवार अंकित है. उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर प्रार्थी के ही नाम है. भविष्य में प्रार्थी को शंकर लाल पवार पिता मानसिंह पंवार के नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम
(शंकर लाल)
पिता मानसिंह

नया नाम
(शंकरलाल पंवार)
(SHANKARLAL PAWAR)
पिता– मानसिंह पंवार,

(G-5248)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज राजपूत पुत्र श्री जमना प्रसाद राजपूत मेरे पुत्र का नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व उसके समस्त मार्कशीटों में कृष्णा राजपूत (KRISHNA RAJPUT) पुत्र मनोज राजपूत (MANOJ RAJPUT) दर्ज है जो कि सही है, मगर त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम हुकुम सिंह राजपूत (HUKUM SINGH RAJPUT) लिख गया है जो कि गलत है . अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष्णा राजपूत (KRISHNA RAJPUT) पुत्र मनोज राजपूत (MANOJ RAJPUT) के नाम से जाना–पहचाना, पुकारा व लिखा जावे व सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मान्य किया जावे.

पुराना नाम
(हुकुम सिंह राजपूत)
(HUKUM SINGH RAJPUT)

नया नाम
(कृष्णा राजपूत)
(KRISHNA RAJPUT)
निवासी–234, ग्राम नरेला शंकरी,
भोपाल, (म.प्र.).

(G-5249)

नाम परिवर्तन

मैं, यमोना ठाकरे पति पंजू, निवास– तिरमहू, पोस्ट लालावाड़ी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम यमोना ठाकरे हो गया है जो गलत है, जबकि मेरा सही नाम यमुनाबाई (YAMUNABAI) पति पंजु (PANJU) है जो कि सही एवं सत्य है, जो कि मेरे अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेज में भी यमुनाबाई (YAMUNABAI) पति पंजु (PANJU) नाम दर्ज हैं.

अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम यमुनाबाई (YAMUNABAI) पति पंजु (PANJU) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(यमोना ठाकरे)
(YAMONA THAKRE)
पति– पंजु (PANJU).

नया नाम
(यमुनाबाई)
(YAMUNABAI)

(G-5250)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आधार कार्ड में कला बाई पति रमेश त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गया है, किन्तु मेरा सही नाम लक्ष्मी बाई पिता रामप्रसाद है जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान–पत्र, भू अधिकार–पुस्तिका में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे लक्ष्मी बाई पिता रामप्रसाद नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(कला बाई)
पति– रमेश

नया नाम
(लक्ष्मी बाई)
पिता– रामप्रसाद,
निवासी– ग्राम मगर खेड़ा, पोस्ट खजूरिया कलां,
तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-5251)

नाम परिवर्तन

मैं, रेखा देवी पत्नी श्री मोकम सिंह, निवासी वार्ड नं. 09, बोरसली, शाजापुर, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश लालू बाई राजपूत (LALU BAI RAJPOOT) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है जबकि मेरे वोटर कार्ड पर रेखा देवी (REKHA DEVI) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम रेखा देवी (REKHA DEVI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(लालू बाई राजपूत)
(LALU BAI RAJPOOT)

नया नाम
(रेखा देवी)
(REKHA DEVI)

(G-5252)

CHANGE OF SURNAME

1, Hemlata Yadav, D/o Dalchandar Sinh Yadav, do hereby declare that I have adopted the surname of my husband, Akash Jain, subsequent to our marriage, and shall henceforth be known, identified, and recognized as HEMLATA JAIN for all official, legal, and non-official purpose.

Old Name

(HEMLATA YADAV)

New Name

(HEMLATA JAIN)
Addr- Resident of 127-B clerk colony,
Pardeshipura, Indore (M.P.).

(G-5253)

उपनाम परिवर्तन

मै, श्रीमती अनामिका नीमा (Anamika Neema) पत्नी श्री चिराग नीमा, निवासी– 201, रुक्मणि प्लाजा ओल्ड पलासिया ए बी रोड इंदौर (म.प्र.). विवाह के पूर्व मेरा नाम कुमारी अनामिका खरे (Anamika Khare) पिता श्री शंकर खरे था तथा मेरे पूर्व दस्तावेजों में मेरा यही उपनाम अंकित था. किन्तु मेरे विवाह के पश्चात् मेरा उपनाम श्रीमती अनामिका नीमा (Anamika Neema) पत्नी श्री चिराग नीमा हो गया है. मैं, इसी नाम से जानी–पहचानी व पुकारी जाती हूं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में भी मुझे नए उपनाम श्रीमती अनामिका नीमा (Anamika Neema) पत्नी श्री चिराग नीमा के नाम से ही जाना–पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम

(अनामिका खरे)
(ANAMIKA KHARE)

नया नाम

(अनामिका नीमा)
(ANAMIKA NEEMA).

(G-5254)

नाम परिवर्तन

मैं, टीकाराम अहिरवार पुत्र धोकलिया अहिरवार, निवासी– ग्राम रेहकलां, ग्राम पंचायत पैराखेड़ी, तह. कुरवाई, जिला विदिशा. मेरा सही नाम टीकाराम अहिरवार (TIKARAM AHIRWAR) है, जो कि मेरे सभी दस्तावेजों (आधार कार्ड को छोड़कर) में इन्द्राज है. मेरे उक्त आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश हल्कू सिंह (HALKU SINGH) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त आधार कार्ड में मेरा सही नाम टीकाराम अहिरवार (TIKARAM AHIRWAR) अंकित किया जाये.

प्रार्थी

(टीकाराम अहिरवार)
(TIKARAM AHIRWAR).

(G-5255)

नाम परिवर्तन

मैं, भारत सिंह आत्मज श्री अमर सिंह, मेरा नाम त्रुटिवश मेरे पुराने दस्तावेज आधार कार्ड में बाबूलाल आत्मज श्री राम भरोसे था जिसे बदलकर नया नाम भारत सिंह आत्मज श्री अमर सिंह हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे नये नाम भारत सिंह आत्मज श्री अमर सिंह (Bharat Singh S/o. Amar Singh) के नाम से जाना और पहचाना जाए एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(भारत सिंह)

(G-5256)

नाम परिवर्तन

मैं, भारती राठौर (Bharti Rathore) पिता प्रेम नारायण राठौर (Prem Narayan Rathore), निवासी– 16/10, एल.आई.जी. ऋषि नगर, उज्जैन (म.प्र.). मेरे पूर्व में कुछ दस्तावेजों में नाम भारती राठौर (Bharti Rathour) पिता प्रेम नारायण राठौर (Pram Narayan Rathour) था, मैंने मेरे पूर्व नाम (Bharti Rathour) का पूर्णतः त्याग कर दिया है एवं उसके स्थान पर नया नाम भारती राठौर (Bharti Rathore) अंगीकार कर लिया है, अब मेरा नाम भारती राठौर (Bharti Rathore) पिता प्रेम नारायण राठौर (Prem Narayan Rathore) हो गया है. अत प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे तथा अब समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय, कार्यालयों, व्यावसायिक व सामाजिक सभी जगह और सभी प्रकार के दस्तावेजों, अंक सूचियों, प्रमाण–पत्रों में यही नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(भारती राठौर)
(BHARTI RATHOUR)
पिता– प्रेम नारायण राठौर
(Pram Narayan Rathour)

नया नाम

(भारती राठौर)
(BHARTI RATHORE)
पिता– प्रेम नारायण राठौर
(Prem Narayan Rathore).

(G-5257)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम राघवेन्द्र सिंह तोमर (RAGHVENDRA SINGH TOMAR) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, समग्र आईडी आदि में दर्ज है. अब वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तन कर दिनेश सिंह तोमर (DINESH SINGH TOMAR) कर लिया है, जो कि आय प्रमाण–पत्र, मूल निवासी, जाति प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है. राघवेन्द्र सिंह तोमर और दिनेश सिंह तोमर मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः आज से मुझे राघवेन्द्र सिंह तोमर के स्थान पर दिनेश सिंह तोमर के नाम से पढ़ा–लिखा, जाना–पहचाना जावे व मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राघवेन्द्र सिंह तोमर)
(RAGHVENDRA SINGH TOMAR)
पुत्र– राजेन्द्र सिंह तोमर

नया नाम

(दिनेश सिंह तोमर)
(DINESH SINGH TOMAR)
पुत्र– राजेन्द्र सिंह तोमर
निवासी– खेरिया, पंचायत नंद का पुरा, तहसील पोरसा,
जिला मुरैना (म.प्र.).
हाल निवासी– संजय कॉलोनी, मुरैना (म.प्र.).

(G-5258)

नाम परिवर्तन

मैं, मो. अरशद सिद्दीकी (Mohd. Arshad Siddiqui) पुत्र मो. वासिल सिद्दीकी हूँ. मेरा पुत्र मो. अशाज सिद्दीकी (Mohd. Ashaz Siddiqui) जिसके शैक्षणिक दस्तावेजों/ स्कूल में उसका नाम अशाज सिद्दीकी (Ashaz Siddiqui) दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम मो. अशाज सिद्दीकी (Mohd. Ashaz Siddiqui) है वह इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को मो. अशाज सिद्दीकी (Mohd. Ashaz Siddiqui) के नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

आवेदक

(मो. अरशद सिद्दीकी)
(Mohd. Arshad Siddiqui)
पता– म.नं. 34, फतेहगढ़ बागिया, वार्ड नं.08,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-5259)

नाम परिवर्तन

मैं, समीना खानम (Sameena Khanam) पत्नी हसीन अनवर (Haseen Anwar) एवं पुत्री स्व. श्री मोहम्मद नियामत खान, निवासी– म.नं. 255, गली नं. 3, लेडी हॉस्पिटल के पीछे, मेघवारपुरा, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पैतृक सम्पत्ति से संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम राममुन्निशा पुत्री नियामत खान दर्ज है, जो मेरे बचपन का नाम है, मेरे अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम समीना खानम (Sameena Khanam) है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे समीना खानम (Sameena Khanam) के नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जायें.

पुराना नाम

(राममुन्निशा)
पुत्री नियामत खान

नया नाम

(समीना खानम)
(Sameena Khanam)

(G-5260)

उपनाम परिवर्तन

मैं, मोनिका चौहान (Monika Chouhan) पत्नी करण सिंह चौहान (Karan Singh Chouhan), निवासी– 258, सी–ट्रेसर फेन्टेसी, राऊ रोड, रंगवासा, केट राउ रोड, रंगवासा, इंदौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड / दस्तावेजों में मेरा नाम मोनिका कुशवाह (Monika Kushwah) केयर ऑफ सुमित प्रताप सिंह कुशवाह (Sumit Pratap Singh Kushwah) दर्ज है, जो मेरे पुनर्विवाह के पहले का नाम है, अब मेरे द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया है और अब मेरा नाम परिवर्तित होकर, मोनिका चौहान (Monika Chouhan) पत्नी करण सिंह चौहान (Karan Singh Chouhan) है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मोनिका चौहान (Monika Chouhan) पत्नी करण सिंह चौहान (Karan Singh Chouhan) के नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मोनिका कुशवाह)	**(मोनिका चौहान)**
(Monika Kushwah)	**(Monika Chouhan)**
केयर ऑफ सुमित प्रताप सिंह कुशवाह	पत्नी–करण सिंह चौहान,
(Sumit Pratap Singh Kushwah)	**(Karan Singh Chouhan).**

(G-5261)

नाम परिवर्तन

मैं, राम बिहारी शर्मा (Ram Bihari Sharma) पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, मेरी पुत्री भक्ती शर्मा (Bhakti Sharma) जिसके आधार कार्ड में उसका नाम भूमिका (Bhoomika) पुत्री राम बिहारी (Ram Bihari) दर्ज है किन्तु मेरी पुत्री के शैक्षणिक / अन्य दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम भक्ती शर्मा (Bhakti Sharma) पुत्री राम बिहारी शर्मा (Ram Bihari Sharma) है वह इसी नाम से जानी व पहचानी जाती है.

अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को भक्ती शर्मा (Bhakti Sharma) पुत्री राम बिहारी शर्मा (Ram Bihari Sharma) के नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राम बिहारी शर्मा)
(RAM BIHARI SHARMA)
पता– रिछारी कलां, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5262)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेसर्स अग्रवाल हाउसिंग कार्यालय पता– 250, सागर प्लाजा एम.पी. नगर, जोन 2, भोपाल (म.प्र). जिसका पंजीयन क्रमांक 01–01–01–00434–13, दिनांक 17 जनवरी 2013 जिसमें भागीदार श्री संजीव अग्रवाल आत्मज स्व.श्री एस. के. अग्रवाल एवं श्रीमती किरण अग्रवाल पत्नी श्री संजीव अग्रवाल थे जिसमे दिनांक 01 जनवरी 2018 को श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री के. के. अग्रवाल, निवासी– 64, गोल्डन सिटी, जाटखेड़ी, भोपाल (म.प्र.) को बतोर भागीदार शामिल किया गया है.

मेसर्स अग्रवाल हाउसिंग,
संजीव अग्रवाल
(भागीदार).

(G-5263)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मनी बाई पति नारायण (MANI BAI W/o. NARAYAN) है, जो कि मेरे राजस्व अभिलेख में दर्ज है. त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम मानु बाई (MANU BAI) हो गया है जो गलत है. मेरा सही नाम मनी बाई पति नारायण (MANI BAI W/o. NARAYAN) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना पहचाना, पढा–लिखा, समझा जावे एवं मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मानु बाई)	**(मनी बाई)**
(MANU BAI)	**(MANI BAI)**
	पति–नारायण,
	(W/o. Narayan)
	पता– 270, ग्राम माचल, इन्दौर (म.प्र.).

(G-5264)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम वंशम पाटीदार (VANSHAM PATIDAR) पिता प्रतीक पाटीदार है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में उसका नाम केनीत पाटीदार (KENIT PATIDAR) पिता प्रतीक पाटीदार दर्ज हो गया. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में सही नाम वंशम पाटीदार (VANSHAM PATIDAR) पिता प्रतीक पाटीदार दर्ज होकर पढ़ा–लिखा व जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(केनीत पाटीदार)	**(वंशम पाटीदार)**
(KENIT PATIDAR)	**(VANSHAM PATIDAR)**
	पिता–प्रतीक पाटीदार
	पता–43,पाटीदार मोहल्ला, ग्राम सिरसाला, धार (म.प्र.)

(G-5265).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम बहादुर लाल वर्मा पिता रामचंद्र वर्मा (BAHADUR LAL VERMA S/o. RAMCHANDRA VERMA) है. त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम बी. एल. वर्मा पिता रामचंद वर्मा (B L VERMA C/O. RAMCHAND VERMA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम बहादुर लाल वर्मा पिता रामचंद्र वर्मा (BAHADUR LAL VERMA S/o. RAMCHANDRA VERMA) होकर मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा–लिखा समझा जावे एवं मेरे समस्त शासकीय– अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बी एल वर्मा)	**(बहादुर लाल वर्मा)**
(B L VERMA)	**(BAHADUR LAL VERMA)**
पिता– रामचंद वर्मा	पिता– रामचंद्र वर्मा
(S/o. RAMCHAND VERMA)	(S/o. RAMCHANDRA VERMA)
	पता–221, स्कीम नं. 114, पार्ट–1, ए.बी. रोड इन्दौर (म.प्र.).

(G-5266)

नाम परिवर्तन

मैं, Sheena Patel Khan पत्नी Faisal Mohammad Khan D/o. Kokab Patel Khan, निवासी– 16/2, जिन्सी रोड, जहांगीराबाद, भोपाल. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश "Khan Shaina Patel" दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम "Sheena Patel Khan" है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पुकारा जाए.

पुराना नाम
(KHAN SHAINA PATEL)

नया नाम
(SHEENA PATEL KHAN)

(G-5267)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम/उपनाम मोहम्मद आरिश मंसूरी (MOHAMMAD ARISH MANSURI) है जो घरेलू प्रचलित नाम है तथा मैं, अपने पुत्र का वास्तविक नाम/उपनाम मोहम्मद हमज़ा मंसूरी (MOHAMMAD HAMZA MANSURI) करवाना चाहता हूँ तथा अब भविष्य में मेरा पुत्र मोहम्मद हमज़ा मंसूरी (MOHAMMAD HAMZA MANSURI) के नाम से जाना व पहचाना जायेगा.

आवेदक

(मो जावेद आत्मज श्री मो शमीम)
निवासी– मकान नं. 759, पीजीबीटी कॉलेज रोड,
कृष्णा कॉलोनी, बैरसिया रोड, हुजूर,
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-5268)

नाम परिवर्तन

मैं, बालाराम कुशवाह आत्मज श्री बाबूलाल एवं श्रीमती विनीता बाई पत्नी श्री बालाराम कुशवाह, मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश धिर्मेन्द्र गलत नाम अंकित हो गया है. जबकि मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/दस्तावेजों में उसका सही नाम धर्मेन्द्र कुशवाह दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को सही नाम धर्मेन्द्र कुशवाह के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय/दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(धिर्मेन्द्र)

नया नाम
(धर्मेन्द्र कुशवाह)
निवासी– निवासीगण ग्राम खनपुरा,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-5269)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम शबाना सेख (SHABANA SEKH) है जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, जिसकी अंग्रेजी स्पेलिंग गलत हैं. मेरा सही वास्तविक व वर्तमान नाम शबाना शेख (SHABANA SHEIKH) पत्नी श्री मो. इस्तियाक है. अब मुझे भविष्य में इसी नाम से जानी एवं पहचानी जाउंगी, जिसे पढ़ा और लिखा जावे.

प्रार्थिनी

(शबाना शेख)
पत्नी– श्री मो. इस्तियाक,
निवासी– एफ. नं.–804, हिग ब्लॉक–एफ,,
ग्राम बड़वई, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-5270)

नाम परिवर्तन

मैं, रामभजन रावत (RAMBHAJAN RAWAT) पुत्र श्री परिमाल, मेरा पूर्व नाम राम बाबू रावत (RAM BABU RAWAT) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में रामभजन रावत पुत्र श्री परिमाल के नाम से जाना–पहचाना जाता हूं, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, रामभजन रावत एवं राम बाबू रावत दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे राम बाबू रावत के स्थान पर रामभजन रावत लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(राम बाबू रावत)

नया नाम

(रामभजन रावत)
पुत्र– श्री परिमाल
पता– सांईपुरा, सबलगढ़, मुरैना (म.प्र.)

(G-5271)

नाम परिवर्तन

मैं, बन्टी (BANTI) पुत्र श्री रूस्तम सिंह, मेरा नाम बन्टी है लेकिन मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अजब सिंह (AJAB SINGH) गलती से लिख गया है जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, बन्टी पुत्र श्री रूस्तम सिंह के नाम से जाना–पहचाना जाता हूं, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है बन्टी एवं अजब सिंह दोनों मेरे ही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अजब सिंह के स्थान पर बन्टी लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(अजब सिंह)

नया नाम

(बन्टी)
पुत्र– श्री रूस्तम सिंह,
पता– शीतला माता रोड, ग्राम पंचायत नौगांव,
गिर्द, आई.टी.एम. ग्वालियर (म.प्र.)

(G-5272)

नाम परिवर्तन

मैं, धुरव कुमार (DHURAV KUMAR) पुत्र श्री राम निवास, मेरा पूर्व का नाम रमाकान्त शर्मा (RAMAKANT SHARMA) था, जो मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, धुरव कुमार पुत्र श्री राम निवास के नाम से जाना–पहचाना जाता हूं, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, धुरव कुमार एवं रमाकान्त शर्मा दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे रमाकान्त शर्मा के स्थान पर धुरव कुमार लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(रमाकान्त शर्मा)

नया नाम

(धुरव कुमार)
पुत्र– श्री राम निवास,
पता– होली चाइल्ड मार्ग, रघुकुल नगर,
आदित्यपुरम, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-5273)

नाम परिवर्तन

मैं, तकत सिंह अटारिया मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में उसका नाम मंजू अटारिया (Manju Atariya) अंकित है. परन्तु आधार कार्ड में लिपिक त्रुटि से उसका नाम संजू अटारिया (Sanju Atariya) अंकित हो गया है जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मंजू अटारिया (Manju Atariya) आत्मज तकत सिंह अटारिया के नाम से जाना–पहचाना, लिखा पढ़ा एवं पुकारा जाए.

आवेदक

(तकत सिंह अटारिया)
पता– ग्राम डोडी, पोस्ट फूडरा,
तहसील जावर, जिला सीहोर (म.प्र.)

(G-5274)

नाम परिवर्तन

मैं, ईरा लुल्ला (ERA LULLA) पत्नी श्री जतिन लुल्ला, मेरा नाम ईरा लुल्ला (ERA LULLA) है. लेकिन मेरे एस.बी.आई. सिक्योरिटीज के डीमैट खाते में मेरा नाम ईरा जतिन लुल्ला (ERA JATIN LULLA) लिख गया है जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मै, ईरा लुल्ला पत्नी श्री जतिन लुल्ला के नाम से जानी–पहचानी जाती हूं. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे ईरा जतिन लुल्ला के स्थान पर ईरा लुल्ला लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(ईरा जतिन लुल्ला)

नया नाम

(ईरा लुल्ला)
पति– श्री जतिन लुल्ला,
पता– सी–16, सम्पत फार्म्स, थर्ड, क्रॉस रोड,
जोड़िएक मॉल के पीछे, बिचोली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.).

(G-5275)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश कुमार साद (RAJESH KUMAR SAD) पुत्र श्री गंगाराम साद, मेरी पुत्री का नाम दृष्टि साद (DRISHTI SAD) है. लेकिन मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम दृष्टि गुर्जर (DRASTI GURJAR) गलती से लिख गया है जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरी पुत्री को दृष्टि साद (DRISHTI SAD) पुत्री श्री राजेश कुमार साद के नाम से जाना–पहचाना जाता है. जो मेरी पुत्री के शासकीय–अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम दृष्टि गुर्जर के स्थान पर दृष्टि साद लिखा एवं पढ़ा जावे.

आवेदक

(राजेश कुमार साद)
पुत्र– श्री गंगाराम साद,
पता–276/3, सिंचाई विभाग कॉलोनी,
सनावद, खरगोन (म.प्र.)

(G-5276)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms " M/S JMK GROUP" of GWALIOR BY PASS IN FRONT OF BHARTIYA VIDHYALAY INDRAPRASTA NAGAR, SHIVPURI (M.P.) Vide Registration No. 02/41/01/0149/25, dated 29/07/2025 has undergone reconstitution in the partnership, whereby it has change its registered office address to WARD NO. 18 ADARSH NAGAR COLONY JHANSI ROAD NEAR KHEDAPATI COLONY SHIVPURI (M.P.) from 02/02/2024.

" M/S JMK GROUP"

UPENDRA SINGH YADAV

(G-5277) (Partner).

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms " M/S H.K. GULHATI & COMPANY" R/O Meet Wali Gali Laxmi Ganj Lashkar Gwalior (M.P.), 474001 Vide Registration No. 43/1982/83, dated 16/04/1982 has undergone reconstitution in the partnership, whereby Shri Manohar Lal Gulhati is retiring from the firm w.e.f. 04.08.2024 because of his demise.

" M/S H.K. GULHATI & COMPANY"

SANJAY GULATI

(G-5278) (Partner).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ब्राइट बिल्डकॉन जो एफ–205, श्री धाम कैम्पस, सिकन्दर कम्पू, ग्वालियर, (म.प्र.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्रमांक 02–42–01–0183–25 एवं दिनांक 28 अगस्त 2025 है, जिसमें दिनांक 04 सितम्बर 2025 को भागीदार (1) श्री अरविंद सिंह राजावत पुत्र श्री जगदीश सिंह राजावत, निवासी– राधा बिहार कॉलोनी, सिकंदर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर, (2) श्री सत्येन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री कुंवर सिंह तोमर, निवासी एफ–305, श्रीधाम कैंपस, सिकंदर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर, (3) श्री संजय कुशवाह पुत्र श्री धर्मपाल कुशवाह, निवासी– ब्रज बिहार कॉलोनी नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर, (म.प्र.). तीनों भागीदार अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 04 सितम्बर 2025 को श्री पांडुरंग राव कदम पुत्र श्री बसंत राव कदम, निवासी– 11, न्यू कृष्णा विहार कॉलोनी, सिटी सेंटर ग्वालियर, फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

मैसर्स ब्राइट बिल्डकॉन
रामनरेश सिंह सेंगर
(भागीदार).
पता– एफ–205, श्री धाम कैम्पस, सिकन्दर कम्पू,
(G-5279) ग्वालियर, (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मनमोहन मेहरा मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश/गलती से मेरा नाम कृष्णकांत राजपूत (KRISHNKANT RAJPUT) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे परिचय–पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों में मनमोहन मेहरा (MANMOHAN MEHRA) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम मनमोहन मेहरा (MANMOHAN MEHRA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम

(कृष्णकांत राजपूत)
(KRISHNKANT RAJPUT)

नया नाम

(मनमोहन मेहरा)
(MANMOHAN MEHRA)
पिता– श्री रमेश मेहरा,
निवासी– 101, ग्राम बोरास, मकान नं.–1 से 150/19 तक,
(G-5280) ग्राम बोरास, तहसील उदयपुर, जिला रायसेन (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, भगवान सिंह मालवीय मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश गलती से मेरा नाम देशराज (DESHARAJ) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे परिचय–पत्र में भगवान सिंह मालवीय (BHAGVAN SINGH MALVIYA) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम भगवान सिंह मालवीय (BHAGVAN SINGH MALVIYA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(देशराज)	**(भगवान सिंह मालवीय)**
(DESHARAJ)	**(BHAGVAN SINGH MALVIYA)**
	पिता– श्री टन्टू लाल,
	निवासी– 39, ग्राम धनिया खेड़ी,
(G-5281)	गुलाबगंज, जिला विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, संजय कुशवाह मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश गलती से मेरा नाम अजय कुशवाह (AJAY KUSHWAH) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों और परिचय–पत्र में संजय कुशवाह (SANJAY KUSHWAH) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम संजय कुशवाह (SANJAY KUSHWAH) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अजय कुशवाह)	**(संजय कुशवाह)**
(AJAY KUSHWAH)	**(SANJAY KUSHWAH)**
	पिता– श्री जीवन कुशवाह
	निवासी– 64/4, शा. कृषि फार्म/भगतसिंह कॉलोनी,
(G-5282)	जिला विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, प्रवीण शुक्ला आत्मज श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला, निवासी– ग्राम व पोस्ट सिरसा, तहसील मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम मान शुक्ला (Man Shukla) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को नये नाम अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

आवेदक

(प्रवीण शुक्ला).

(G-5283)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/s. Aditya Corporates Registered office at 204 Princess Center, 6/3 New Palasia Indore (M.P.) 452001 and Registration No, is 03-27-01-0515-24 dated 15-03-2024, which was constituted vide Partnership deed executed on 09/01/2024.

In this Partnership firm subsequentaly following changes have occurred on 27/06/2025, 1. M/s. Adcore Developers LLP (Signing Partner Nirmal Jain) and 2. Bhavik Jain S/o. Nirmal Jain have joined the firm as a new partner.

Now 1. Amit Parekh 2. Rajendra Parekh 3. M/s. Adcore Developers LLP and 4. Bhavik Jain are the running Partners of the Partnership firm.

M/S. Aditya Corporates

AMIT PAREKH

(Partner).

(G-5284)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम राजेन्द्र था, जिसे परिवर्तित कर जगदीश कर लिया था. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड सहित अन्य समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नया नाम जगदीश ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(राजेन्द्र)

नया नाम

(जगदीश)
पता– सनावदिया, इन्दौर (म.प्र.).

(G-5285)

नाम परिवर्तन

मैं, महेश पिता आशाराम, निवासी–ग्राम खुड़गांव, पोस्ट रेहगांव, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम रोहित पिता महेश दर्ज है एवं स्कूल रिकार्ड में उसका नाम ललित कंचोले पिता महेश कंचाले दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम रोहित पिता महेश के स्थान पर ललित कंचोले (LALIT KANCHOLE) पिता महेश कंचोले (MAHESH KANCHOLE) पढ़ा एवं लिखा जावे.

आवेदक

(महेश)
पिता– आशाराम,

(G-5286)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सादिक हुसैन इल्यास खान एण्ड सन्स की पार्टनरशिप डीड फर्म पंजीयक कार्यालय, फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर में पंजीयन क्रमांक 03–27–01–0224–17 दिनांक 14 फरवरी 2017 से पंजीकृत है. दिनांक 18 अगस्त 2025 को फर्म में मो. सुबराती पिता अब्दुल सत्तार निवासी– रामगंज जिन्सी, इन्दौर (म.प्र.) को तृतीय भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है एवं फर्म से जावेद खान पिता याकूब खान, निवासी– 96, भिश्ती मोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.) ने अपना सेवानिवृत्त लेख (रिटायरमेन्ट डीड) दिनांक 11 अगस्त 2025 को लिखा होने से भागीदार नहीं रहे हैं व चतुर्थ भागीदार के रूप में दिनांक 18 अगस्त 2025 को आयशा खान पिता शादाब खान 89–90, सुभाष मार्ग, इन्दौर को अवस्यक द्वारा उसके प्राकृतिक संरक्षक नामित श्री इल्यास खान पिता अब्दुल रहमान, निवासी– 89–90, सुभाष मार्ग, इन्दौर रहेंगे. इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत पालनार्थ एवं सूचनार्थ है.

मेसर्स सादिक हुसैन इल्यास खान एण्ड सन्स
इल्यास खान
(पार्टनर).

(G-5287)

उपनाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम उसके स्कूल रिकार्ड एवं स्कूल के समस्त दस्तावेजों व अंकसूचियों में उसका त्रुटिवश नाम KUNAL SAINI दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम KUNAL MALI है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम KUNAL MALI ही लिखा व पढ़ा जावे.

आवेदिका

(अनिता माली)
निवासी– 113, लाबरिया भेरू, धार रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-5288)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शमशुद्दीन इल्यास खुर्शीद हसन एण्ड सन्स की फर्म के रूप में संयुक्त पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर में पंजीयन क्रमांक 03–27–01–00058–2011, दिनांक 30 जून 2011 से पंजीकृत है. फर्म दिनांक 10 मई 2025 को फर्म में इजहान खान पिता मो. इशाक, अवयस्क मायनर द्वारा उसके प्राकृतिक संरक्षक (गार्जियन) नामित श्री इकबाल मंसूरी पिता खुर्शीद हसन मंसूरी, निवासी 91/1, ओल्ड राजमोहल्ला, इन्दौर तृतीय भागीदार एवं इकरा खान पिता मो. इशाक खान, निवासी–92. सुभाष मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) को चतुर्थ भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत पालनार्थ एवं सूचनार्थ है.

मेसर्स शमशुद्दीन इल्यास खुर्शीद हसन एंड सन्स
ईस्माईल खान
(भागीदार)
एस.आई.के.एच. एण्ड सन्स
नागदा रेल्वे स्टेशन, नागदा (म.प्र.).

(G-5289)

नाम परिवर्तन

मैं, भूरी बाई बनवारी पति स्व. रघुनंदन बनवारी, निवासी– 182 पंम्पापुर की झुग्गीयां, राहुल नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार में मेरा नाम शीला बाई पति रघुनंदन दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम शीला बाई पति रघुनंदन बनवारी दर्ज है उसके स्थान पर मेरा नाम भूरी बाई बनवारी पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम
(शीला बाई)

नया नाम
(भूरी बाई बनवारी).

(G-5290)

उपनाम परिवर्तन

मैं, कँवर लाल सूर्यवंशी आत्मज श्री शांतिलाल सूर्यवंशी, निवासी–ग्राम व पोस्ट रोला, तहसील–जावरा, जिला–रतलाम (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड के अनुसार मेरा नाम कँवर लाल सूर्यवंशी (KANWAR LAL SURYAVANSHI) दर्ज है. मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम कँवरलाल, दर्ज हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे कँवर लाल सूर्यवंशी (KANWAR LAL SURYAVANSHI) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(कँवरलाल)
(KANWARLAL)

नया नाम
(कँवर लाल सूर्यवंशी)
(KANWAR LAL SURYAVANSHI).

(G-5291)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनैना गोयल पत्नी श्री सुधांशु गोयल, निवासी– डॉक्टर गोयल हाऊस, हुजरात रोड, लश्कर, जिला–ग्वालियर, (म.प्र.). मेरा नाम सुनैना गोयल है मेरी शादी के पहले का नाम नेशू बंसल था जो कि मेरे शादी से पहले के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. अब मैं, अपने नए नाम सुनैना गोयल के नाम से जानी जाती हूँ एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सुनैना गोयल के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(नेशू बंसल)

नया नाम
(सुनैना गोयल)

(G-5292)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम संतोषी यदुवंशी (Santoshi Yaduvanshi) पुत्री श्री संतोष यदुवंशी जिसका आधार कार्ड में नाम दर्ज चला आ रहा है व रितू यादव (Ritu Yadav) पुत्री श्री संतोष यादव के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज एवं समग्र परिवार कार्ड में नाम दर्ज चला आ रहा है, जो कि एक ही महिल के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व व्यक्तिगत दस्तावेजों में रितू यादव (Ritu Yadav) पुत्री श्री संतोष यादव के नाम से जाना– पहचाना, पढ़ा, लिखा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संतोषी यदुवंशी)	**(रितू यादव)**
(SANTOSHI YADUVANSHI)	**(RITU YADAV)**
पुत्री– श्री संतोष यदुवंशी	पुत्री– श्री संतोष यादव.

(G-5293)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम कशिश (Kashish) पुत्री श्री महेश जिसका आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, समग्र आई.डी, इंडिया पोस्ट बैंक में नाम दर्ज है व प्रेम मालवीय (Prem Malviya) पुत्री श्री महेश के जन्म प्रमाण–पत्र, लाडली लक्ष्मी योजना, जाति प्रमाण–पत्र, आयुष्मान कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज में नाम दर्ज है, जो कि एक ही महिला के नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व व्यक्तिगत दस्तावेजों में प्रेम मालवीय (Prem Malviya) पुत्री श्री महेश के नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा, लिखा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कशिश)	**(प्रेम मालवीय)**
(KASHISH)	**(PREM MALVIYA)**
	पुत्री– श्री महेश,
	(D/o. MAHESH).

(G-5294)

नाम परिवर्तन

मैं, जगन पटेल पुत्र अजुद्दी पटेल, निवासी– ग्राम सिहोरा, पोस्ट राहतगढ़, जिला सागर, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश जगन्नाथ पटेल नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम जगन पटेल है जो कि मेरे बैंक ऑफ इण्डिया की पासबुक में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में जगन पटेल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जगन्नाथ पटेल)	**(जगन पटेल).**

(G-5295)

नाम परिवर्तन

मैं, लखन प्रसाद पुत्र झंगलू धनवर, निवासी– वार्ड नं. 07. अयोध्या बस्ती के पास, कपिलधारा कॉलोनी के पीछे, श्रमिक सदन, बिजूरी, जैतपुर, शहडोल, (म.प्र.). मेरी पुत्री की अंकसूची में त्रुटिवश कुमारी प्राची नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में प्राची धनवर नाम दर्ज है जो कि सही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में प्राची धनवर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(लखन प्रसाद)

पुत्र– झंगलू धनवर.

(G-5296)

उपनाम परिवर्तन

मैं, सोनकुंवर तेकाम पुत्री छत्तर सिंह तेकाम, निवासी–वार्ड नं. 12, मुकद्दमटोला ग्राम दरबरा, पोस्ट मेढ़ा, तहसील बिछिया, जिला मण्डला, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश सोनकुवर धुर्वे नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम सोनकुंवर तेकाम है जो कि मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सोनकुंवर तेकाम के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम — नया नाम

(सोनकुवर धुर्वे) — **(सोनकुंवर तेकाम).**

(G-5297)

नाम परिवर्तन

मैं, अनीता गौंड पत्नी संजय गौंड, निवासी– ग्राम माधो, तहसील देवरी, जिला सागर, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश पूजा गौंड नाम दर्ज हो गया है. जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम अनीता गौंड है जो कि मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में अनीता गौंड के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम — नया नाम

(पूजा गौंड) — **(अनीता गौंड).**

(G-5298)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में त्रुटिवश मेरा नाम "अजीत कुमार, अंकित कर दिया गया जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत पासपोर्ट सहित अन्य सभी वैधानिक व औपचारिक कार्य हेतु मेरा पूरा व सही नाम "अजीत दुबे" से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम — नया नाम

(अजीत कुमार) — **(अजीत दुबे)**
पता– सी 2, क्षितिज अपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर,
फ्लैट क्र.102, महावीर नगर, पानी की टंकी के पास,
गोयल नगर, इंदौर (म.प्र.).

(G-5299)

नाम परिवर्तन

मैं, बसंत कुमार कुशवाहा पुत्र श्री हरप्रसाद, निवासी– ग्राम सियरमऊ, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम वर्षा पटेल (Varsha Patel) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है और साथ ही उसकी जन्मतिथि भी गलत अंकित हो गई है, जबकि उसका सही नाम रितु कुशवाहा (Ritu Kushwaha) है जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम रितु कुशवाहा (Ritu Kushwaha) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बंसत कुमार कुशवाहा).

(G-5300)

नाम परिवर्तन

मैं, सैयद साद शाह आत्मज श्री सैयद नईम शाह, निवासी–डी–1, बी.डी.ए. कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.). मेरे गैर सरकारी एवं सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम साद शाह (Saad Shah), एस. साद शाह (S. Saad Shah) एस.एस. शाह (S.S. Shah), एस. साद शाह (S.Saad Shah) पुत्र श्री एस.एन. शाह (S.N. Shah) अंकित है, उपरोक्त सभी मेरे ही नाम हैं तथा मैं, घर–परिवार व समाज में उक्त सभी नामों से जाना–पहचाना जाता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे सैयद साद शाह (Syed Saad Shah) पुत्र श्री सैयद नईम शाह (Syed Naeem Shah) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(सैयद साद शाह).

(G-5301)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम द्रोपति बाई पत्नी गणेश राम (DROPTI BAI W/O GANESH RAM), निवासी– दौलतपुरा, लालोई, भोपाल (म.प्र.) है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम फूल बाई पत्नी गणेश राम (PHOOL BAI W/O GANESH RAM) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा वास्तविक सही नाम पैन कार्ड व मतदाता पहचान–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम द्रोपति बाई पत्नी गणेश राम (DROPTI BAI W/O GANESH RAM) के नाम से जाना, पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(फूल बाई)
(PHOOL BAI)

नया नाम

(द्रोपति बाई)
(DROPTI BAI)
पत्नी– गणेश राम
(W/o. GANESH RAM).

(G-5302)

नाम परिवर्तन

मैं, सैयद नईम शाह, आत्मज श्री मतीन शाह, निवासी– डी–1, बी.डी.ए. कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.). मेरे गैर सरकारी एवं सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम सैयद नईम शाह (Syed Naeem Shah) एस.एन. शाह (S. N. Shah), एस. नईम शाह (S. Naeem Shah) तथा नईम शाह (Naeem Shah) पुत्र एस.एम. शाह (S.M. Shah) के नाम से भी जाना– पहचाना जाता हूँ. उपरोक्त सभी मेरे ही नाम हैं एवं मुझे घर–परिवार व समाज में उपरोक्त सभी नामों से जाना–पहचाना जाता है अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे सैयद नईम शाह (Syed Naeem Shah) पुत्र श्री सैयद मतीन शाह (Syed Mateen Shah) के नाम से ही जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(सैयद नईम शाह).

(G-5303)

नाम परिवर्तन

मैं, शैलेष वर्मा पिता नाथूलाल वर्मा, निवासी– मकान न. 6/26, विजयनगर, टेलीफोन टावर के सामने, वार्ड नंबर 26, शाजापुर, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम सुवीर वर्मा पिता शैलेष वर्मा (SUVEER VERMA S/o. SHAILESH VERMA) परन्तु पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश वीर वर्मा पिता शैलेष वर्मा (VEER VERMA

S/o. SHAILESH VERMA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम जन्म प्रमाण–पत्र स्कूल की मार्कशीट में दर्ज है. सुवीर वर्मा पिता शैलेष वर्मा (SUVEER VERMA S/o. SHAILESH VERMA) व वीर वर्मा पिता शैलेष वर्मा (VEER VERMA S/o. SHAILESH VERMA) दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को सुवीर वर्मा पिता शैलेष वर्मा (SUVEER VERMA S/o. SHAILESH VERMA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(वीर वर्मा)	**(सुवीर वर्मा)**
(VEER VERMA)	**(SUVEER VERMA)**
	पिता– श्री शैलेष वर्मा
	(S/o. SHAILESH VERMA).

(G-5304)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सलमा शाह पत्नी एस.एन. शाह, निवासी–डी–1, बी.डी.ए. कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.). मेरे गैर सरकारी एवं सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम सलमा (Salma) पत्नी एन. एन. शाह (S.N. Shah), एस. शा मारिया (S. Shah Maria), सलमा शाह मारिया (Salma Shah Maria), सलमा शाह (Salma Shah) अंकित है, यह तीनों मेरे ही नाम हैं तथा मैं, घर–परिवार व समाज में उक्त सभी नामों से जानी जाती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे सलमा शाह (Salma Shah) पत्नी सैयद नईम शाह (Syed Naeem Shah) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

(सलमा शाह).

(G-5305)

नाम परिवर्तन

मैं, सैयद उमर शाह आत्मज श्री एस.एन. शाह, निवासी–डी–1, बी.डी.ए. कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.). मेरे गैर सरकारी एवं सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम उमर शाह (Omar Shah) पुत्र एस. एन. शाह (S.N. Shah), एस. उमर शाह (S. Omar Shah), सैयद उमर शाह (Syed Omar Shah), एस.ओ. शाह (S.O. Shah) पुत्र सैयद नईम शाह (Syed Naeem Shah) अंकित है, यह तीनों मेरे ही नाम हैं तथा मैं, घर–परिवार व समाज में उक्त सभी नामों से जाना–पहचाना जाता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में भी मुझे सैयद उमर शाह (Syed Omar Shah) पुत्र सैयद नईम शाह (Syed Naeem Shah) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(सैयद उमर शाह).

(G-5306)

उपनाम परिवर्तन

मेरे पुत्र यश रंजन के जन्म प्रमाण–पत्र में माता का नाम चांदनी (CHANDANI) व स्कूल अभिलेख में चादनी रंजन (CHANDANI RANJAN) अंकित हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. जिसे सुधारकर मेरे द्वारा अपना नाम चांदनी वर्मा (CHANDANI VERMA) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र यश के जन्म प्रमाण–पत्र व स्कूल अभिलेखों में माता का नाम चांदनी वर्मा (CHANDANI VERMA) लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चांदनी रंजन)	**(चांदनी वर्मा)**
	पता– 1480, सिलवर स्टार सिटी, सिलीकॉन सिटी,
	लोटस, इन्दौर (म.प्र.).

(G-5307)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मेरे आधार कार्ड में भूल व त्रुटिवश शिरोमणी पटेल अंकित हो गया है जबकि मेरा सही नाम शालिनी पटेल है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम शालिनी पटेल लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(शिरोमणी पटेल)

नया नाम
(शालिनी पटेल)
पता– ग्रीड कॉलोनी, बफलगांव, बड़वाह,
जिला खरगोन (म.प्र.).

(G-5308)

नाम परिवर्तन

मैं, पिन्टू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर पिता श्री फूलसिंह गुर्जर, निवासी– ग्राम खैरी कला, पोस्ट पलोहा बडा, तहसील गाडरवारा कौडिया, नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड में दक्ष पटेल दर्ज है. अब मैंने मेरे पुत्र दक्ष पटेल का नाम परिवर्तित कर सिद्धांत पटेल कर दिया है. अब मैं, अपने पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड में सिद्धांत पटेल दर्ज कराना चाहता हूं. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र को सिद्धांत पटेल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक
(जितेन्द्र गुर्जर).

(G-5309)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/S. VRANDAVAN ASSOCIATES, पता– BEHIND GOVT- HOSPITAL, AZAD WARD NO-7, H.NO. 98, MANDLA (M.P.) Reg. 04/19/01/0119/24, Date 06-08-2024 द्वारा दिनांक 31-07-2025 को 1. Shri Rajeev Gupta S/o. Shri Mukut Lal Gupta, R/o. E-8/46, Shiva Kunj, 12 No. Stop, Arera Colony, Huzur Bhopal 462016 (M.P.) 2.Sushant Gupta S/o. Shri Rajeev Gupta R/o E-8/46, Railway Society, 12 No.Stop, Shiva Kunj, Shivam Hospital, Arera Colony, Huzur Bhopal-462016 (M.P.) 3. Shruti Gupta D/o. Shri Rajeev Gupta E-8/46, Railway Society, 12 No.Stop, Shiva Kunj, Shivam Hospital, Arera Colony, Huzur Bhopal-462016 (M.P.) भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया.

M/s. VRANDAVAN ASSOCIATES
SHAILESH KUMAR CHOURASIA
Azad ward, Bhind Govt. Hospital, Mandla
(PARTNER).

(G-5310)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s. SARC INFRASTRUCTURE & TECHNOLOGY office- Khasra No. 22/4/1 Ahmedpur Kala, Near Bawarchi Restaurant, TCI And TVS Godown, Bhopal Reg. No-01/01/01/01/00007/09, Date 4-4-2009 दिनांक 01–11–2021 की संशोधित डीड में उल्लेखित है कि दिनांक 20–10–2021 को Shri Anand Prakesh Sabherwal S/o. Late shri Dayaram Sabherwal, R/o. E-2/77, Arera Colony Bhopal (मृत्यु होने जाने के कारण भागीदारी फर्म से पृथक् हुए) एवं M/s. Sterling Contractors And Builders Pvt.Ltd., A company Incorporated Under The Companies Act. 1956 Through its Director Shri Avneesh Sabherwal S/o. Shri Anand Prakesh Sabherwal भी भागीदारी फर्म से पृथक् हुए. दिनांक 21–10–2021 को 1- Shri Sandeep Agarwal S/o. Shri S.C. Agarwal, R/o. 04, Pushp Villa, Shyamla Hills Road, Bhopal. 2. Shri Avneesh Sabherwal S/o. Late Shri Anand Prakesh Sabherwal, R/o. E-2/77, Arera Colony Bhopal को भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया. दिनांक 29–3–2024 को भागीदारी फर्म को भंग किया गया.

M/s. SARC INFRASTRUCTURE & TECHNOLOGY
Ashwini Kumar Agrwal
(PARTNER).

(G-5311)

नाम परिवर्तन

मैं, कुसुम देवी पत्नी स्व. राजकुमार यादव, निवासी– एम.क्यू. 110, सेक्टर ए दुधीचुआ कालोनी, जिला सिंगरोली (म.प्र.). मेरी पुत्री स्नेहा यादव के आधार कार्ड में उसका नाम "कुमारी स्नेहा यादव" अंकित हो गया है, इसलिये मैं, अपनी पुत्री के नाम के आगे से कुमारी हटाकर उसका नाम मात्र स्नेहा यादव अंकित कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री कुमारी स्नेहा यादव को उसके सही नाम स्नेहा यादव SHNEHA YADAV के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदिका

(कुसुम देवी).

(G-5312)

नाम परिवर्तन

मैं, कुसुमवती पत्नी स्व. आशाराम वेदांती, निवासी– ग्राम कपुरी, बेदोलियान, तहसील चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश कुसुमकली (KUSUMKALI) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे वोटर कार्ड पर कुसुमवती (KUSUMWATI) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में नये नाम कुसुमवती (KUSUMWATI) स्व. आशाराम वेदांती के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कुसुमकली)	**(कुसुमवती)**
(KUSUMKALI)	(KUSUMWATI).

(G-5313)

नाम परिवर्तन

मैं, देवराज सौंधिया आत्मज श्री हरीसिंह, निवासी– ग्राम चंद्रपुरा, पोस्ट मोया, राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम भविष्यराज सौंधिया (BHAVISHYARAJ SONDHIYA) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम बभीस्यराज अंकित हो गया है, अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को नये नाम भविष्यराज सौंधिया (BHAVISHYARAJ SONDHIYA) के नाम से जाना–पहचाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

आवेदक

(देवराज सौंधिया).

(G-5314)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम फ़रीदा कुरेशी पत्नी श्री मुनव्वर कुरेशी (FAREEDA QURESHI W/o. MUNAWWAR QURESHI). निवासी– म.नं. 03, नबाव मंजिल, बारह महल शाहजहानाबाद, तह. हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में शादी के पूर्व में मेरा नाम फ़रीदा सिराज पत्नी श्री मुनव्वर कुरेशी (FAREEDA SIRAJ W/o. MUNAWWAR QURESHI) था, जो कि अधूरा व गलत है. फ़रीदा कुरेशी पत्नी श्री मुनव्वर कुरेशी एवं फ़रीदा सिराज पत्नी श्री मुनव्वर कुरेशी एक ही महिला हैं. मेरा सही नाम वोटर आई.डी. में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम फ़रीदा कुरेशी पत्नी श्री मुनव्वर कुरेशी (FAREEDA QURESHI W/o. MUNAWWAR QURESHI) से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(फ़रीदा सिराज)	**(फ़रीदा कुरेशी)**
(FAREEDA SIRAJ)	(FAREEDA QURESHI)
	पत्नी – मुनव्वर कुरेशी.
(G-5315)	MUNAWWAR QURESHI.

नाम परिवर्तन

मैं अरविन्द कुमार सिंह चौहान आत्मज श्री एन.बी. चौहान. मेरी पुत्री का नाम नित्या चौहान है. मेरे पुत्री के दस्तावेजों में उसका सही नाम नित्या चौहान पुत्री श्री अरविन्द कुमार सिंह चौहान एवं माता श्रीमती सुलेखा चौहान चला आ रहा है. जन्म प्रमाण–पत्र में माता का नाम त्रुटिवश श्रीमती नीना चौहान गलत अंकित हो गया एवं पिता का पूरा नाम श्री अरविन्द कुमार चौहान में सिंह अंकित होना रह गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में सही नाम नित्या चौहान पुत्री श्री अरविन्द कुमार सिंह चौहान एवं माता श्रीमती सुलेखा चौहान किया जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नित्या चौहान)	**(नित्या चौहान)**
पुत्री– अरविन्द कुमार चौहान	पुत्री– अरविन्द कुमार सिंह चौहान
माता– नीना चौहान	माता– सुलेखा चौहान.

(G-5316)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रकाश पिता बगदीराम जाति गायरी, निवासी– ग्राम बण्डवा, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरी पुत्री का जन्म नाम कविता पिता प्रकाश है, किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश अर्पिता हो गया है, मेरी पुत्री को कविता के नाम से जाना–पहचाना जाता है. आधार कार्ड में अर्पिता की जगह कविता किया जाना है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को अर्पिता की जगह कविता लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रकाश)
पिता– बगदीराम.

(G-5317)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती जयश्री पाठक पत्नी श्री रामदत्त पाठक पुत्री श्री रामगुलाम त्रिपाठी, निवासी– म.नं. 11, श्री राधा कृष्ण विहार कॉलोनी, बागमुगलिया, भोपाल (म.प्र.). विवाह पूर्व मेरा नाम जयश्री रामगुलाम त्रिपाठी (Jayashri Ramgulam Tripathi) था. जो कि विवाह के पश्चात् मेरा नाम जयश्री पाठक (Jayashri Pathak) पत्नी श्री रामदत्त पाठक (Ramdutt Pathak) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम जयश्री पाठक (Jayashri Pathak) पत्नी श्री रामदत्त पाठक (Ramdutt Pathak) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जयश्री रामगुलाम त्रिपाठी)	**(जयश्री पाठक)**
(Jayashri Ramgulam Tripathi)	(Jayashri Pathak)
पिता– रामगुलाम त्रिपाठी	पत्नी– रामदत्त पाठक
	(Ramdutt Pathak).

(G-5318)

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पेन्द्र कुमार जायसवाल पुत्री हरिहर प्रसाद जायसवाल, निवासी– विलेज/पोस्ट झारा, जिला सिंगरौली (म.प्र.). मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम पुष्पेन्द्र जायसवाल (Pushpendra Jaiswal) पुत्र हरिहरन जायसवाल (Hariharn Jaiswal) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम पुष्पेन्द्र कुमार जायसवाल (Pushpendr Kumar Jaiswal) पुत्र हरिहर प्रसाद जायसवाल (Harihar Prasad Jayswal) है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम पुष्पेन्द्र कुमार जायसवाल (Pushpendr Kumar Jaiswal) पुत्र हरिहर प्रसाद जायसवाल (Harihar Prasad Jayswal) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पुष्पेन्द्र जायसवाल)	**(पुष्पेन्द्र कुमार जायसवाल)**
(Pushpendra Jaiswal)	(Pushpendr Kumar Jaiswal)
पुत्र– हरिहरन जायसवाल	पुत्र– हरिहर प्रसाद जायसवाल
(Hariharn Jaiswal)	(Harihar Prasad Jayswal).

(G-5319)

नाम परिवर्तन

मैं, छोटेलाल प्रजापति पिता श्री कल्लू प्रजापति (chhotelal Prajapati S/o. kallu Prajapati) हैं निवासी– 2, बेलई, बीलाखेड़ी, बहादुरपुर, अशोक नगर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम छोटू पिता कल्लू (chotu S/o. kallu) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. यह कि छोटेलाल प्रजापति पिता श्री कल्लू प्रजापति दोनों एक ही व्यक्ति हैं. मेरा सही नाम समग्र आई.डी. व मतदाता पहचान–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम छोटेलाल प्रजापति पिता श्री कल्लू प्रजापति (chhotelal Prajapati S/o. kallu Prajapati) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(छोटेलाल प्रजापति)
पिता– श्री कल्लू प्रजापति.

(G-5320)

नाम परिवर्तन

मैं, सूर्य प्रताप सेन पिता श्री भोरा, निवासी– ग्राम पड़खुरी, पोस्ट गाधीग्राम, तहसील गोपद बनास, थाना जमोड़ी, जिला सीधी (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश घरेलू नाम जानू नाई दर्ज है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत उसका सही नाम लव सेन (LAV SEN) है जो कि सही है. इसी नाम से जाना व पहचाना जावे अन्य दस्तावेजों में भी यहीं नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सूर्य प्रताप सेन)
पिता– भोरा.

(G-5321)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अक्षरा बाभले (Akshra Babhale) पिता श्री श्रीकांत बाभले, निवासी– सी–10, सुरेन्द्र विहार, बागमुगलिया, भोपाल (म.प्र.) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम अक्षदा बाभले (Akshada Babhale) है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम अक्षदा बाभले के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(श्रीकांत बाभले).

(G-5322)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजा जायसवाल (RAJA JAISWAL) पिता श्री भगवती प्रसाद जायसवाल है, जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पैन कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम राजेन्द्र जायसवाल (RAJENDRA JAISWAL) पिता भगवती प्रसाद जायसवाल दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में राजेन्द्र जायसवाल के स्थान पर मेरा सही नाम राजा जायसवाल (RAJA JAISWAL) पिता श्री भगवती प्रसाद जायसवाल लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(राजेन्द्र जायसवाल)
(RAJENDRA JAISWAL)

नया नाम
(राजा जायसवाल)
(RAJA JAISWAL)
पिता– श्री भगवती प्रसाद जायसवाल
पता– 10, उषा फाटक, इन्दौर (म.प्र.).

(G-5323)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम मिलन राशिनकर (MILAN RASHINKAR) पिता गोरखनाथ था. जो की मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर जैनी राशिनकर (JAINEE RASHINKAR) पिता गोरखनाथ कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम जैनी राशिनकर (JAINEE RASHINKAR) पिता गोरखनाथ लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(मिलन राशिनकर)
(MILAN RASHINKAR)

नया नाम
(जैनी राशिनकर)
(JAINEE RASHINKAR)
पिता– गोरखनाथ
पता– 36/1, बंशी प्रेस की चाल,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-5324)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम लॉंग श्री (LONG SHRI) है, यही नाम मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है. जबकि मेरे पुत्र राजेन्द्र सिंह (RAJENDRA SINGH) की मध्यप्रदेश बोर्ड की 10वीं की अंकसूची व सेना के दस्तावेजों में व अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश कमला देवी (KAMALA DEVI) दर्ज हो गया है. लॉंग श्री (LONG SHRI) और कमला देवी (KAMALA DEVI) मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र राजेन्द्र सिंह (RAJENDRA SINGH) के समस्त शैक्षणिक, शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कमला देवी (KAMALA DEVI) के स्थान पर लॉंग श्री (LONG SHRI) लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कमला देवी)
(KAMALA DEVI)

नया नाम
(लॉंग श्री)
(LONG SHRI)
पत्नी – गम्भीर सिंह
पता– ग्राम गढोरा, पोस्ट नायकपुरा,
मुरैना (म.प्र.).

(G-5325)

नाम परिवर्तन

मैं, राज दुलारी पति श्री रामानुज प्रताप सिंह, निवासी– ग्राम/पोस्ट आमिलिया, तहसील मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे पति की सेवा पुस्तिका एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राज दुलारी अंकित है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में बूटी सिंह अंकित है. उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे राज दुलारी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

प्रार्थिनी
(राज दुलारी)
पति– रामानुज प्रताप सिंह.

(G-5326)

नाम परिवर्तन

शादी के पूर्व मेरा नाम प्रियंका गोयल (PRIYANKA GOYAL) था, जो कि मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है. मेरी शादी गौरव बंसल से होने के बाद ससुराल में मेरा नाम बदलकर एकता बंसल (EKTA BANSAL) रखा गया है, यही नाम मेरे वोटर कार्ड में दर्ज है. प्रियंका गोयल (PRIYANKA GOYAL) एवं एकता बंसल (EKTA BANSAL) मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम प्रियंका गोयल (PRIYANKA GOYAL) के स्थान पर एकता बंसल (EKTA BANSAL) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मुझे एकता बंसल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(प्रियंका गोयल)
(PRIYANKA GOYAL)
पुत्री– महेश चन्द गोयल

नया नाम
(एकता बंसल)
(EKTA BANSAL)
पत्नी – गौरव बंसल
निवासी– सुभाष मार्ग, कैलारस,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-5327)

नाम परिवर्तन

मैं, संजय तिवारी पुत्र राधेश्याम, निवासी–वार्ड नं. 22, अभिषेक नगर, रसूलिया, होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश हर्षित तिवारी नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में हर्षवर्धन तिवारी नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में हर्षवर्धन तिवारी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(संजय तिवारी)
पुत्र– राधेश्याम.

(G-5328)

नाम परिवर्तन

मुझे पूर्व में बृजबिहारी यादव (BRIJ BIHARI YADAV) के नाम से जाना जाता था, जो कि गलत था, अब मेरी मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि के अनुसार मेरा सही नाम बृजबिहारी (BRAJ BIHARI) है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे बृजबिहारी (BRAJ BIHARI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(बृजबिहारी)
(BRAJ BIHARI)
पिता– मुलायमसिंह
निवासी– 116, गोमतीनगर, देवास (म.प्र.).

(G-5329)

नाम परिवर्तन

मैं, अभिमन्यु सिंह पुत्र शरद सिंह (ABHIMANYU SINGH S/o. SHARAD SINGH), निवासी– रिपोर्टर ई.टी.वी. न्युज, वार्ड नं. 13, नियर मुस्कान रेस्टोरेंट, कोठी बाजार, होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश नाम अभिषेक सिंह पुत्र शरद सिंह (ABHISHEK SINGH S/o. SHARAD SINGH) अंकित हो गया है, जो की गलत है, मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों व आधार कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम अभिमन्यु सिंह पुत्र शरद सिंह (ABHIMANYU SINGH S/o. SHARAD SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अभिषेक सिंह)
(ABHISHEK SINGH)

नया नाम
(अभिमन्यु सिंह)
(ABHIMANYU SINGH)
पुत्र– शरद सिंह
S/o. SHARAD SINGH.

(G-5330)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रज्ञा महेंद्र टिपले पुत्र श्री महेंद्र गजाननराव टिपले, निवासी– जी 465, गुलमोहर कालोनी, नियर शिवाये काम्प्लेक्स, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश अंग्रेजी में मेरा नाम (Pradanya Mahendra Tiple) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम प्रज्ञा महेंद्र टिपले (Pragya Mahendra Tiple) पुत्री महेंद्र गजाननराव टिपले (Mahendra Gajananrao Tiple) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम प्रज्ञा महेंद्र टिपले (Pragya Mahendra Tiple) पुत्री महेंद्र गजाननराव टिपले (Mahendra Gajananrao Tiple) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(Pradanya Mahendra Tiple)

नया नाम
(प्रज्ञा महेंद्र टिपले)
(Pragya Mahendra Tiple)
पुत्री– महेंद्र गजाननराव टिपले
(Mahendra Gajananrao Tiple).

(G-5331)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नीलेश (NEELESH) है. यही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है, जबकि मेरे पैन कार्ड, वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड में मेरा घरू नाम नितेन्द्र सिंह (NITENDRA SINGH) दर्ज है. नीलेश (NEELESH) और नितेन्द्र सिंह (NITENDRA SINGH) मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम नितेन्द्र सिंह (NITENDRA SINGH) के स्थान पर नीलेश (NEELESH) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे नीलेश (NEELESH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(नितेन्द्र सिंह)
(NITENDRA SINGH)

नया नाम
(नीलेश)
(NEELESH)
पुत्र– देवेन्द्र सिंह
निवासी– ग्राम भिखारीपुरा, रजौधा पोरसा,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-5332)

नाम परिवर्तन

मैं, अकरम हुसैन पुत्र अलाउद्दीन, निवासी–123, गुरू नानक मार्ग, खाचरोद, उज्जैन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश राहीफ (RAHIF) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में राहीब हुसैन (RAHIB HUSSAIN) नाम दर्ज है, जो कि सही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम राहीब हुसैन (RAHIB HUSSAIN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(अकरम हुसैन)
पुत्र– अलाउद्दीन.

(G-5333)

नाम परिवर्तन

मैं, शाकेरा बी, निवासी– 47/1, ब्राहमण बावड़ी मोचीपुरा, काजीपुरा, न्यू कालोनी, दिलीप नगर, रतलाम (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम नासिर बेगम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पैन कार्ड में मेरा नाम शाकेरा बी दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम शाकेरा बी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(नासिर बेगम)

नया नाम
(शाकेरा बी).

(G-5334)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश जेमला पिता कनसिंह (Jemla S/o. Kansingh) अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम जेमु पचाया पिता कनसिंह पचाया (JEMU PACHAYA S/o. KANSINGH PACHAYA) है. मेरे वोटर कार्ड में भी जेमु पचाया पिता कनसिंह पचाया अंकित है और मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे जेमु पचाया पिता कनसिंह पचाया (JEMU PACHAYA S/o. KANSINGH PACHAYA) नाम से जाना–पहचान व संबोधित किया जाए और समस्त शासयकीय/अशासकीय अभिलेखों में मान्य किया जावे.

पुराना नाम
(जेमला पिता कनसिंह)
(Jemla S/o. Kansingh)

नया नाम
(जेमु पचाया).
JEMU PACHAYA
पिता– कनसिंह पचाया
(KANSINGH PACHAYA)
पता– 119, ग्राम कुवाजापुरा करजवानी,
गाजगोटा, डही, जिला धार (म.प्र.).

(G-5335)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम रश्मी पटेल पिता रामरतन पटेल (RASHMI PATEL D/o. RAMRATAN PATEL), निवासी– ग्राम रेगुवा, पोस्ट सुनवानी कलां, तहसील अमानगंज, पन्ना रेंगुवान (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम श्यामली पटेल पिता रामरतन पटेल (SYAMLI PATEL D/o. RAMRATAN PATEL) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम रश्मी पटेल पिता रामरतन पटेल (RASHMI PATEL D/o. RAMRATAN PATEL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामरतन पटेल)

पिता– बैजनाथ.

(G-5336)

नाम परिवर्तन

मैं, घनश्याम सिंह पाल, निवासी– म.नं. एस– 878, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम अनुज पाल आधार कार्ड में गलत दर्ज हो गया है, जबकि उसका सही नाम गर्व सिंह पाल है, जो कि उसके विद्यालय की अंकसूची व जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को गर्व सिंह पाल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(घनश्याम सिंह पाल).

(G-5337)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश ''जानवी अग्रवाल'' "JANVI AGRAWAL" अंकित हो गया है. मेरी पुत्री का सही नाम '' जाहन्वी अग्रवाल'' "JAHNVI AGRAWAL" है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को ''जाहन्वी अग्रवाल'' "JAHNVI AGRAWAL" के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विनय अग्रवाल)

आत्मज– श्री विनोद अग्रवाल.

(G-5338)

नाम परिवर्तन

मैं, गोपाल सिंह मीना पुत्र श्री उमराव सिंह मीना, निवासी– ग्राम करोली, हिरनखेड़ी, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम योगेश मीणा (YOGESH MEENA) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम योगेन्द्र सिंह मीणा (Yogendra Singh Meena) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा पुत्र अपने नये नाम योगेश मीणा (YOGESH MEENA) के नाम से जाना–पहचाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

आवेदक

(गोपाल सिंह मीना)

पुत्र श्री उमराव सिंह मीना.

(G-5339)

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा शर्मा पिता चेतराम शर्मा सभी दस्तावेजों में अंकित है विवाह के पश्चात् मेरा नाम पूजा पाण्डे पति जितेन्द्र पाण्डे हो गया है. मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैक पास बुक एवं पैन कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पूजा पांडे (Pooja Pande) अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम पूजा पाण्डे (Pooja Pandey) है. उक्त दोनों नाम मेरे एक ही महिला के हैं. मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम पूजा पाण्डे (Pooja Pandey) लिखा व पढ़ा जाकर मान्य किया जावे.

पुराना नाम

(पूजा पांडे)

(Pooja Pande)

नया नाम

(पूजा पाण्डे)

(Pooja Pandey)

निवासी– म.नं. 1211, गली नं. 3,

हनुमान मंदिर के पास, पुष्पा नगर,

जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-5340)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जुन्नारदेव, मध्यप्रदेश

जुन्नारदेव, दिनांक 28 अगस्त 2025

प्रारुप–पाँच

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

रा.प्र.क्र.–0001–बी–113(1)–2025–26.–चूंकि, श्री भोलेनाथ सेवा समिति धार्मिक न्यास पहली पायरी जुन्नारदेव दमामी, ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, (म.प्र.) की ओर से आवेदक शंकर कुमरे पिता चम्मू कुमरे निवासी–जुन्नारदेव विशाला, ग्राम पंचायत जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा–4 के अधीन एक आवेदन–पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 28 जुलाई 2025 को विचारण में लिया.

अतः, मैं, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/लोक न्यास अधिकारी जुन्नारदेव के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28 अगस्त 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करती हूँ.

अतः, एतद्द्वारा, सूचना दी जाती है, कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्याय या सम्पत्ति में, हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि को समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा :–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

भोलेनाथ सेवा समिति धार्मिक न्यास पहली पायरी जुन्नारदेव दमामी, ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

(G-5341)

जुन्नारदेव, दिनांक 28 अगस्त 2025

प्रारुप–चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

रा.प्र.क्र.–0001–बी–113(1)–2025–26.– चूँकि, श्री भोलेनाथ सेवा समिति धार्मिक न्यास पहली पायरी जुन्नारदेव दमामी, ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, (म.प्र.) की ओर से आवेदक शंकर कुमरे पिता चम्मू कुमरे, निवासी–जुन्नारदेव विशाला, ग्राम पंचायत जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनयम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल–अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन–पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं या अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :–

अनुसूची

स.क्र (1)	लोकन्यास का नाम (2)	नाम वस्तु (3)	विवरण (4)	वजन तथा नग (5)
1	श्री भोलेनाथ सेवा समिति	चल संपत्ति	घंटा	02
	धार्मिक न्यास पहली पायरी		दान पेटी (लोहे की)	09
	जुन्नारदेव दमामी, ग्राम पंचायत		दान पेटी (स्टील की)	01
	जुन्नारदेव विशाला,		दान पेटी (काँच की)	01
	तहसील जुन्नारदेव,		स्टील की थाली	04
	जिला छिन्दवाड़ा.		स्टील कंटोरी	04
			आरती बड़ी (पीतल की)	01
			आरती छोटी (पीतल की)	01
			गुंडी (तांबे की)	01
			तांबे की प्लेट	01
			तांबे के लोटे	01
			आचमनी	02
			आसन (कपड़े के)	10
			दरी	01
			चटाई	03
			घंटी (पीतल की)	01
			लोटे स्टील के	04
			पीतल का नाग	01
			पीतल का सूर्य	01
2		अचल संपत्ति	निरंक	निरंक

(G-5342) **कामिनी ठाकुर,** अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, मुरार, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 25 अगस्त 2025

प्रारुप–4

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

प्र.क्र.–01–2025–26–बी–113(4).– आवेदक श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री मोहन लाल सर्राफ, निवासी–ऋषि गालब पब्लिक स्कूल, दीनदयाल नगर, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) ट्रस्ट दिगम्बर जैन मंदिर, न्यास स्थान दीनदयाल नगर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयक के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 25 सितम्बर 2025 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अतः, मैं, पंजीयक लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुरार, जिला ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 25 अगस्त 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः, एतद्द्वारा, सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 01 माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नही किया जावेगाः–

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता	:	दिगम्बर जैन मंदिर न्यास दीनदयाल नगर मुरार ग्वालियर (म.प्र.).
2. लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन चल सम्पत्ति/अचल सम्पत्ति	:	10000/– रुपये.

(G-5343) **एन.सी. गुप्ता,** अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

नर्मदापुरम, दिनांक 7 अगस्त 2025

प्रारुप–4

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

लोक न्यासों के पंजीयक नर्मदापुरग जिला नर्मदापुरग के समक्ष

क्र.–2457–प्र.–अविअ.–2025–26.– यह कि आवेदकगण श्री शंकरलाल बनछोड़िया, आ. रामसिंह व अन्य 35, निवासी–नर्मदापुरम, तहसील व जिला नर्मदापुरम द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 में अतंर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित, आवेदन पर दिनांक 7 अगस्त 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

मैं, नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 16 सितम्बर 2025 उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूँ.

अतः, एतद्द्वारा, सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा :–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति विवरण)

1.	न्यास का पूरा नाम	श्री नर्मदा जी मंदिर निर्मित सर्वराहकार कहार समाज बांद्राभान तहसील व जिला नर्मदापुरम.
2.	न्यास का उद्यम प्रकृति और उद्देश्य	धार्मिक आयोजन समाज सेवा निराश्रितों को भोजन गरीब मेघवी छात्रों व छात्राओं को छात्रवृत्ति व अन्य धार्मिक एवं सामाजिक कार्य.
3.	स्थान जहां कि न्यास का मुख्य कार्यालय कार्यभार का स्थान स्थित है.	ग्राम बांद्राभान तहसील व जिला नर्मदापुरम.
4.	कार्यकारिणी न्यासी व प्रबंधन के नाम व पते	श्री शंकर लाल बनछोडिया आ. रामसिंग व अन्य 35, निवासी–आंनद नगर, सांईनाथ एसटीडी के पास, आदमगढ़ रोड, नर्मदापुरम तह. व जिला नर्मदापुरम.
5.	न्यासधारी या प्रबंधक के उत्तराधिकार की स्थिति अथवा उत्तराधिकार का क्रम	उत्तराधिकार क्रमानुसार न्यासी के परिवार का एक सदस्य.
6.	न्यास की चल सम्पत्ति	चल सम्पत्ति का मूल्य अनुसार सूची संलग्न है.
7.	अचल संपत्ति का विवरण	ग्राम सांगाखेडा कलां स्थित भूमि ख.नं. 1073 (एस) रकबा 1.3960 हेक्ट., ख.नं. 1075/1 (एस) रकबा 0.0610 हेक्ट, ख.न. 1075/3 (एस) रकबा 0.0610 हेक्ट, ख.नं. 632 (एस) रकबा 1.3600 हेक्ट. एवं ग्राम बांद्राभान स्थित भूमि ख.नं. 185 (एस) 0.5800 हेक्ट., ख.नं. 187 (एस) 0.2100, ख.नं. 237 (एस) रकबा 0.2710 हेक्ट. एवं धर्मशाला 2 कमरे की, गाय एवं भूसे के लिए टीन शेड.
8.	अचल संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य.	52 लाख रुपये
9.	न्यास के आय के स्त्रोत	मंदिर में चढ़ोत्री एवं कृषि भूमि से आय.
10.	औसतन वार्षिक सकल आय	लगभग दो लाख सत्तर हजार रुपये.
11.	औसत वार्षिक व्यय	लगभग तीन लाख रुपये.

(G-5344)

गीता कोरी, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

कलेक्टोरेट कार्यालय, कक्ष क्रमांक 204, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश.

क्रमांक–1669–रीडर–1–25 जूनी इन्दौर, दिनांक 14 अगस्त 2025

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951: तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अर्न्तगत]

आवेदक मेव एज्युकेशनल वेलफेयर अवेयनर ट्रस्ट, पता–57, इलियास कालोनी, जाली वाला कुआ के पास, खजराना, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल संम्पत्ति –चल संपत्ति का विवरण)

1. मेव एज्युकेशनल वेलफेयर अवेयनर ट्रस्ट, पता–57, इलियास कालोनी, जाली वाला कुआ के पास, खजराना, इन्दौर
2. अचल संपत्ति :– निरंक /–
3. चल संपत्ति :– 20000

आज दिनांक 14 अगस्त 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-5345) **प्रदीप सोनी**, पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, उपखण्ड गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

गोटेगांव, दिनांक 24 अप्रैल 2025

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अर्न्तगत]

क्रमांक–प्रवा.–अ.वि.अ.–2025–प्र.क्र.ब–113–2025–26.–एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीयक लोक न्यास, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के समक्ष आवेदक श्री राजकुमार पिता ज्ञानचंद जैन, निवासी–करेलीकला, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर द्वारा आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 4 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में श्री देव 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट, बरगी कालोनी, गोटेगांव को पंजीकृत किये जाने के लिये दिनांक 24 अप्रैल 2025 को आवेदन–पत्र प्राप्त हुआ है. जो मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

इस संबंध में किसी को आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर 2 प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा :–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

1. श्री देव 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट बरगी कालोनी, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.).
2. वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री श्री राजकुमार पिता ज्ञानचंद जैन, निवासी–करेलीकला, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
3. चल संपत्ति– निरंक
4. अचल संपत्ति – मौजा छोटाछिंदवाडा, तहसील गोटेगांव में स्थित भूमि ख.नं. 121/10/31 रकबा 0.011 हे. खसरा नंबर 121/10/2 रकवा 600 वर्गफुट आवासीय भू–खण्ड.

(G-5346) **देवंती परते,** अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, रजिस्ट्रार, ऑफ पब्लिक ट्रस्ट तराना, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

तराना, दिनांक 25 अगस्त 2025

[मध्यप्रदेश जन न्यास अधिनियम की धारा 5(1) एवं 5(2) के अंतर्गत]

क्रमांक–रजि.प.ट्रस्ट–2025–811.–आवेदक संजय जैन पिता श्री हस्तीमल जैन, निवासी–ग्राम डेंलची रोड, माकडोन द्वारा आवेदन–पत्र मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत प्रस्तुत कर श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ उपाश्रय ट्रस्ट माकडोन को मध्यप्रदेश लोक न्यास में पंजीकरण करने हेतु प्रस्तुत किया है.

अतः, उक्त न्यास से संबंधित कोई व्यक्ति जो न्यास अथवा अनुसूचित में वर्णित चल/अचल सम्पत्ति में हित या रूचि रखता हो तो आपत्ति अथवा सुझाव इस न्यायालय में विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से एक माह के अंदर अथवा प्रकरण में नियत दिनांक 5 सितम्बर 2025 तक स्वयं अथवा अपने अभिभाषक या मुख्त्यार आम के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :–

1.	ट्रस्ट का नाम	–	श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ उपाश्रय ट्रस्ट माकडोन, जिला उज्जैन.
2.	वर्तमान पता	–	डेलची रोड, माकडोन, जिला उज्जैन (म.प्र.)
3.	सम्पत्ति का विवरण	–	ट्रस्ट न्यास की चल/अचल सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:– 1. चल सम्पत्ति – निरंक 2. अचल सम्पत्ति – उपाश्रय स्थल पुराना बस स्टेड माकडोन

(G-5347) **ब्रजेश सक्सेना,** अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, लोक न्यास, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेटलावद, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

पेटलावद, दिनांक 29 जुलाई 2025

प्रारुप–चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1)]

लोक न्यासों के पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद, जिला–झाबुआ के समक्ष.

क्रमांक–3118–रीडर–1–2025.– यह कि आवेदक एवं अध्यक्ष श्री दीपक पिता अनोखीलाल जैन, निवासी–वार्ड क्रमांक–05, हॉस्पिटल रोड, पेटलावद आदि–10. निवासी–पेटलावद, तहसील पेटलावद ने श्री नाकोडा चैरेटेबल ट्रस्ट पेटलावद के ट्रस्ट पंजीयन किये जाने हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए किया है, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 20 अगस्त 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

अतः, मैं, लोक न्यासों का पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद, जिला झाबुआ का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 अगस्त 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ .

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नही लिया जाएगा :–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम	:–	श्री नाकोडा चैरेटेबल ट्रस्ट, पेटलावद
2	लोक न्यास का पता	:–	सिविल हॉस्पिटल के सामने, पेटलावद
3.	लोक न्यास की चल संपत्ति	:–	11000/– (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)
4.	लोक न्यास की अचल संपत्ति	:–	निरंक

(G-5348)

पेटलावद, दिनांक 29 जुलाई 2025

प्रारुप – चार

[देखे नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद, जिला–झाबुआ के समक्ष.

क्रमांक–3120–रीडर--1–2025.–यह कि आवेदक एवं अध्यक्ष श्री सुनिल कुमार पिता बाबुलाल मालवी (जैन), निवासी–रायपुरिया, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ व अन्य–13 ने श्री नाकोडा पार्श्व भैरव तीर्थ ट्रस्ट मेवानगर, पेटलावद के ट्रस्ट पंजीयन किये जाने हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए किया है, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 03 सितम्बर 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

अतः, मैं, लोक न्यासों का पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद, जिला–झाबुआ का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 03 सितम्बर 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा :–

अनूसूची

(लोक न्यास का नाम और पत्ता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम	:–	श्री नाकोडा पार्श्व भैरव तीर्थ ट्रस्ट, मेवानगर पेटलावद
2.	लोक न्यास का पता	:–	थांदला रोड, दामोदर कॉलोनी, पेटलावद
3.	लोक न्यास की चल संपत्ति	:–	1,54,000/– (अक्षरी रुपये एक लाख चौपन हजार मात्र)
4.	लोक न्यास की अचल संपत्ति	:–	निरंक

(G-5349)

तनुश्री मीणा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह, मध्यप्रदेश

तेन्दूखेड़ा, दिनांक ... अगस्त 2025

प्रारुप क्रमांक–4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

श्री ऋषभ सिंघई, अध्यक्ष 1008, अतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर
(सिंघई मंदिर) सार्वजनिक न्यास, विद्यानगर, तहसील तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह.

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन
पंजीयक, लोक न्यास, तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह.

रा.प्र.क्र.–बी–113–वर्ष–2024–25.– यह कि आवेदक श्री ऋषभ सिंघई, अध्यक्ष 1008, अतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर (सिंघई मंदिर) सार्वजनिक न्यास, विद्यानगर, तहसील तेन्दूखेडा, जिला दमोह की ओर से अधिवक्ता श्री नितिन कुमार जैन द्वारा लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन दिनांक 09 सितम्बर 2024 को प्रस्तुत कर अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन–पत्र दिनांक 29 अगस्त 2025 को दिन के दोपहर 12:00 बजे मेरे न्यायालय द्वारा विचार में लिया जावेगा.

अतः, मैं, सौरभ गंधर्व, अनुविभाग, तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय मे दिनांक 29 अगस्त 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच प्रस्थापित करता हूँ.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये उक्त न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम, पता	:–	1008, अतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर (सिंघई मंदिर) सार्वजनिक न्यास, विद्यानगर, तहसील तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह.
2. सम्पत्ति का विवरण	:–	1008, अतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, ख.नं. 543/28, रकबा 510 वर्गफुट एवं ख.नं. 542/2क, रकबा 0.048 आरे,ख.नं. 543/21 रकबा 0.008.

(G-5350)

सौरभ गंधर्व, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास (अनुविभागीय अधिकारी), बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बैहर, दिनांक 18 अगस्त 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (नियम 30 वॉ) की धारा 5 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम 5(1) के अनुसार]

रा.प्र.क्र.–0001–बी–113–वर्ष–2025–26.–चूंकि अभिव्यक्ति ट्रस्ट बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट के न्यासकर्ता (अध्यक्ष) श्री मनीष तिवारी, निवासी–वार्ड नं. 08 चालीस मकान बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा (4) के अंतर्गत नीचे दर्शाये गई सम्पत्ति के लिए पब्लिक ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतएवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, उक्त आवेदन–पत्र की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 18 सितम्बर 2025 दिन गुरूवार, को समय 11.00 बजे को नियत की गई है.

कोई व्यक्ति उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आपेक्ष करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह अधिसूचना के निकलने से 01 माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रक्रिया प्रस्तुत करें और नियत तिथी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होवें, निर्धारित समय के समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आपेक्ष पर कोई विचार नही किया जावेगा.

अनुसूची

1.	न्यास का नाम	:–	अभिव्यक्ति ट्रस्ट बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2.	चल सम्पत्ति का विवरण	:–	21,000/–रुपये
3.	अचल सम्पत्ति का विवरण	:–	ग्राम बैहरनजूल, प.ह.नं. 17/2, भूमि खसरा नं. 72, रकबा 0.409 में से रकबा 0.020 हे.

(G-5351) **अर्पित गुप्ता,** अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 19 अगस्त 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–Q.–कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला नीमच द्वारा कार्यालयीन आदेश क्र.–परि.–469 एवं 470, नीमच, दिनांक 7 जुलाई 2025 से निम्न संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र.	संस्थाओं का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व आदेश क्रमांक /दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संस्कार प्राथ सहकारी उप भण्डार, नीमच.	102/24.10.2007	389/31.03.2018
2	अभिनव प्रिटिंग प्रेस सहकारी संस्था, नीमच.	270/27.05.1991	392/31.03.2018
3.	संयुक्त यातायात सहकारी संस्था, नीमच.	809/08.02.1997	393/31.03.2018
4.	इंदिरा महिला उधोग सहकारी संस्था, नीमच.	23/17.10.2001	394/31.03.2018
5.	श्रीनाथ स्टील एवं फर्नीचर सह संस्था, नीमच	23/07.07.2007	398/31.03.2018

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	कृष्णा बीज उत्पा. सहकारी संस्था, छायन	254 / 28.03.2015	377 / 31.03.2018
7.	राबडिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था, राबडिया	227 / 10.02.2015	425 / 31.03.2018
8.	जय लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, खेडादारू	223 / 01.01.2015	369 / 31.03.2018
9.	श्री जलेश्वर बीज उत्पा. सहकारी संस्था, हरवार	242 / 12.02.2015	370 / 31.03.2018
10.	सावलिया बीज उत्पा. सहकारी संस्था, नीमच	158 / 08.06.2010	371 / 31.03.2018
11.	जय ज्वाला बीज उत्पा. सह संस्था, सेमली मेवाड	297 / 06.07.2016	373 / 31.03.2018
12.	अन्सारी बुनकर सहकारी संस्था, पडदा	220 / 15.01.1991	207 / 03.05.2016
13.	जागृति उपभोक्ता सह. भण्डार, नीमच	981 / 30.10.1995	974 / 17.09.2018
14.	महिला देवी अहिल्या गृह उद्योग, नीमच	28 / 02.11.2001	974 / 17.09.2018
15.	तिलस्मा यातायात सहकारी संस्था, नीमच	57 / 25.02.2005	974 / 17.09.2018
16.	हरियाली हार्टिकल्चर सहकारी संस्था, पिपल्याव्यास	178 / 30.07.2018	974 / 17.09.2018
17.	ग्रीनफील्ड हार्टिकल्चर सहकारी संस्था, जयसिंहपुरा	725 / 07.08.1998	974 / 17.09.2018
18.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था, कराडिया महाराज	634 / 28.03.1992	974 / 17.09.2018
19.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था, अरनिया माली	283 / 16.06.2015	794 / 26.11.2019
20.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था, मेलानखेडा	287 / 27.06.2015	794 / 26.11.2019
21.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था, केवडिया	301 / 27.06.2015	794 / 26.11.2019
22.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था, भगवानपुरा	259 / 25.04.2015	794 / 2611.2019
23.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था, जयसिंहपुरा	305 / 06.07.2015	794 / 26.11.2019
24.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था, ढोलपुरा	300 / 06.07.2015	794 / 26.11.2019
25.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था, दुलाखेडा	289 / 27.06.2015	794 / 26.11.2019
26.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था, बरखेडा	261 / 25.04.2015	794 / 26.11.2019
27.	जय जोगणिया साख सहकारी संस्था मर्या., मनासा	184 / 25.03.2013	583 / 03.05.2023
28.	बस कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., मनासा	32 / 27.03.2022	585 / 03.05.2023
29.	मित्रजित साख सहकारी संस्था मर्या., नीमच	149 / 22.02.2010	577 / 03.05.2023
30.	शासकीय साख सहकारी संस्था मर्या., नीमच	62 / 26.08.2005	579 / 03.05.2023
31.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था, मालाहेडा	285 / 17.06.2015	569 / 03.05.2023

(1)	(2)	(3)	(4)
32	उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अल्हेड	322 / 08.09.2015	405 / 03.05.2023
33	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था, बरखेडा, मनासा	317 / 04.08.2015	425 / 03.05.2023
34.	अटल सागर विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था, मांगरोल	138 / 25.09.2009	437 / 03.05.2023
35.	जय अम्बे मत्स्य सहकारी समिति मर्या., खेडली	36 / 09.10.2002	436 / 03.05.2023
36.	जय मातादी मास्य सहकारी समिति मर्या., मनासा	13 / 25.09.2009	435 / 03.05.2023
37.	जय मां शेरोवाली मत्स्य सहकारी समिति मर्या., अमरपुरा	88 / 27.04.2007	434 / 03.05.2023
38.	डायली बीज सहकारी संस्था मर्या., डायली	268 / 28.05.2015	452 / 03.05.2023
39.	भादवामाता बीज सहकारी संख्या मर्या., सावन	359 / 20.11.2016	457 / 03.05.2023
40.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुधलाई	496 / 02.09.1994	473 / 03.05.2023
41.	श्री रामदेव बीज सहकारी संस्था मर्या., भमेसर	269 / 28.05.2015	480 / 03.05.2023
42.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या सिंघाडिया	251 / 23.03.2015	488 / 03.05.2023
43.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कंजार्डा	303 / 06.07.2015	496 / 03.05.2023
44.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बांगरेड	123 / 16.09.2008	497 / 03.05.2023
45.	अजाक्स साख सहकारी संख्या, मनासा	787 / 31.03.1995	740 / 30.06.2022
46.	वुलन बुनकर सहकारी संस्था, मनासा	03 / 14.03.1998	740 / 30.06.2022
47.	ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था, मनासा	313 / 09.03.1979	740 / 30.06.2022
48.	पत्रकार गृहनिर्माण सह. संस्था, मनासा	81 / 28.11.1981	450 / 03.05.2023
49.	दाउदी बोहरा गृहनिर्माण सह. संस्था, नीमच	19 / 09.09.2005	441 / 03.05.2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत उपरोक्त समस्त संस्थाओं के क्रमशः लेनदारों/देनदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि यदि उनसे संबंधित संस्था में उनकी कोई भी लेनदारी/देनदारी हो तो सूचना–पत्र के प्रकाशन से दो माह (60 दिन) की अवधि में अपनी लेनदारी/देनदारी का दावा (कलेम) मय प्रमाण के मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय सहायक आयुक्त, नीमच में कार्यालीन समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. समयावधि के बाद संस्थाओं में लेनदारी/देनदारी के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार करने योग्य नहीं होगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-5352) **नवीन शर्मा,** परिसमापक/वरि.सह.निरी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2025—भाद्र 21, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.